रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ट 06, 1945 शक संवत्) [संख्या 21

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	303–326	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	603–626	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	231–264	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	263–267	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गोपन विभाग

अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

06 फरवरी, 2023 ई0

सं0 39/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह-I, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 28 नवम्बर, 2022 से 02 दिसम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 40/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05 सितम्बर, 2022 से 09 सितम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 12 सितम्बर, 2022 से 17 सितम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से 23 सितम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 41/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से 21 नवम्बर, 2022 तक 08 (आठ) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 134/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 से 16 दिसम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

14 मार्च, 2023 ई0

सं0 194/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव जोशी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 22 अगस्त, 2022 से 17 सितम्बर, 2022 तक 27 (सत्ताईस) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से 23 सितम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 26 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
4	दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 से 14 अक्टूबर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
5	दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 से 21 अक्टूबर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 195/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 28 नवम्बर, 2022 से 03 दिसम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 196/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजबीर सिंह, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 से 16 दिसम्बर, 2022 तक 14 (चौदह) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 197/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 01 नवम्बर, 2022 से 04 नवम्बर, 2022 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 10 नवम्बर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 209/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 से 17 दिसम्बर, 2022 तक 16 (सोलह) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 210/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अजय त्यागी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से 19 नवम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से 06 दिसम्बर, 2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 से 16 दिसम्बर, 2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 223/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मुईन, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ का दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से 19 नवम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 265/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजन राय, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से 19 नवम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 21 नवम्बर, 2022 से 25 नवम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 28 नवम्बर, 2022 से 03 दिसम्बर, 2022 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
5	दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर, 2022 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

अधिसूचना
16 मार्च, 2023 ई0

सं0 346/23-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स(1)–(1) श्री प्रशान्त कुमार (2) श्री मंजीव शुक्ला (3) श्री अरूण कुमार सिंह देशवाल, जिन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

23 मार्च, 2023 ई0

सं0 392/23-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स(1)–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीशगण (1) श्री चन्द्र कुमार राय, (2) श्री कृष्ण पहल, (3) श्री समीर जैन, (4) श्री आशुतोष श्रीवास्तव, (5) श्री सुभाष विद्यार्थी, (6) श्री बृज राज सिंह, (7) श्री श्री प्रकाश सिंह, (8) श्री विकास बुधवार, (9) श्री ओम प्रकाश

त्रिपाठी तथा (10) श्री विक्रम डी चौहान, जिन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2023 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

05 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 459/23-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रितिंकर दिवाकर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, जिन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2023 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

कार्यालय ज्ञाप
13 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 406/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री कौशल जयेन्द्र ठाकर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 16 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2023 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश ।
2	दिनांक 30 जनवरी, 2023 से 03 फरवरी, 2023 तक 05 (पाँच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश ।

सं0 457/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 07 जुलाई, 2022 से 08 जुलाई, 2022 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 458/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 20 जनवरी, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश ।
2	दिनांक 23 जनवरी, 2023 से 25 जनवरी, 2023 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश ।
3	दिनांक 27 जनवरी, 2023 से 28 जनवरी, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश ।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग–1

पदोन्नति

14 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-1949/11-2022-1035(28)/2021–राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) के निम्नलिखित सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर (वेतनमान रु0-15600-39100 ग्रेड पे रु0-5400) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप आयुक्त, मनोरंजन कर (वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड पे रु0 6600/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके उप आयुक्त के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे–

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री–
1	45	मो0 हुसैन अन्सारी
2	46	अविनाश चन्द्र राय
3	49	संदीप श्रीवास्तव
4	50	इन्द्रभान वर्मा
5	53	रामसेवक प्रजापति
6	55	विजय कुमार

तैनाती

25 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-2021/11-2022-400टी(06)/2022–शासन की विज्ञप्ति संख्या-राज्य कर-1-1729/11-2022-400टी(06)/2022, दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, उपायुक्त, राज्य कर की तैनाती उपायुक्त, खण्ड-19 राज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर की गयी है।

2–उक्त विज्ञप्ति दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा की गयी तैनाती को निरस्त करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह, उपायुक्त राज्य कर को उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

05 जनवरी, 2023 ई0

सं0 राज्य कर-1-18/11-2023-400टी(06)/2022–शासन की विज्ञप्ति संख्या-राज्य कर-1-1561/11-2022-400टी(06)/2022, दिनांक 06 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री अखिलेन्द्र कुमार, उपायुक्त, राज्य कर की तैनाती उपायुक्त, खण्ड-2, राज्य कर, शामली के पद/स्थान पर की गयी है।

2–उक्त विज्ञप्ति दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा की गयी तैनाती को निरस्त करते हुए श्री अखिलेन्द्र कुमार, उपायुक्त, राज्य कर को राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

स्थानान्तरण/तैनाती

21 जनवरी, 2023 ई0

सं0 राज्य कर-1-116/11-2023-1035(31)/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-राज्य कर-1-2129/11-2022-400टी(07)/2022, दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 द्वारा श्री राजेश प्रताप सिंह चन्देल, संयुक्त आयुक्त/वरिष्ठ स्टॉफ अधिकारी, आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया गया।

2—श्री चन्देल द्वारा शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0-ए-8601/2022 राजेश प्रताप सिंह चन्देल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04 जनवरी, 2023 का प्रभावी अंश निम्नवत् है—

Let counter affidavit be filed within a period of three weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter. List thereafter.

Till the next date of listing, the impugned transfer order dated 03.12.2022, shall remain in abeyance.

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2023 के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-राज्य कर-1-2129/11-2022-400टी(07)/2022, दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 को वाद में अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगित किया जाता है।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

कार्यालय—ज्ञाप

01 मार्च, 2023 ई0

सं0 रा0क0-1-1124/11-2022-27/19—आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-स्था0-1-पी0एफ0-श्रीमती अपूर्वा पटेल, सहा0आ0-2022-23/328/राज्य कर, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती अपूर्वा पटेल, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ के अनुरोध पत्र दिनांक 02 अगस्त, 2022 एवं आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-स्था-1-श्रीमती ज्योति रानी, सहा0 आयुक्त/2022-23/288/राज्य कर, दिनांक 27 जुलाई, 2022 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती ज्योति रानी, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ के अनुरोध पत्र दिनांक 15 मार्च, 2019 पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती अपूर्वा पटेल, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ व श्रीमती ज्योति रानी, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ के गृह जनपद निम्नवत परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	गृह जनपद	परिवर्तित गृह जनपद
1	2	3	4	5
	सर्वश्रीमती—			
1	अपूर्वा पटेल	सहायक आयुक्त राज्य कर	हरदोई	चित्रकूट
2	ज्योति रानी	सहायक आयुक्त राज्य कर	गाजीपुर	भदोही

उपरोक्त गृह जनपद परिवर्तन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि यह गृह जनपद परिवर्तन उक्त अधिकारियों के सेवाकाल में अंतिम होगा।

आज्ञा से,
सुनील यादव,
उप सचिव।

विज्ञप्ति / नोशनल प्रोन्नति
28 मार्च, 2023 ई0

सं0 राज्य कर-1-431 / 11-2023-973(53) / 2011—श्रीमती वन्दना सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ज्येष्ठता क्रमांक-1258) को रिट याचिका सं0—15359 / 2022 वन्दना सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन उनके आसन्न कनिष्ठ श्री रवीन्द्र नाथ शुक्ला (ज्येष्ठता क्रमांक-1264) की पदोन्नति की तिथि 07 अप्रैल, 2022 से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु0-37400-67000, ग्रेड पे रु0-8900 / —, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, वास्तविक पदोन्नति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2—श्रीमती वन्दना सिंह के अपर आयुक्त ग्रेड-1 के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत किये जाने तक श्रीमती वन्दना सिंह अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करती रहेंगी।

विज्ञप्ति / पदोन्नति
24 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 राज्य कर-1-617 / 11-2023-10 / 2022—राज्य कर विभाग के निम्नलिखित राज्य कर अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड पे रु0 5400 / — पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री / श्रीमती—
1	3224	प्रवीन कुमार पाण्डेय
2	3226	आशुतोष कुमार सिंह
3	3242	सत्य प्रकाश उमराव
4	3245	योगेन्द्र कुमार-I
5	3248	राम शंकर
6	3254	गणेश यादव
7	3256	सत्य प्रकाश वर्मा
8	3257	शिव कुमार यादव
9	3260	हीरालाल पाल
10	3263	श्याम वीर सिंह
11	3266	शैलेन्द्र कुमार-III
12	3287	भूमिका शर्मा
13	3293	पंकज कुमार खरवार
14	3388	राजीव कुमार राय
15	3395	अमित कुमार श्रीवास्तव
16	3397	ललित तिवारी

1	2	3
		सर्वश्री / श्रीमती–
17	3398	आदित्य प्रताप सिंह बिसेन
18	3401	निर्भय कुमार मिश्रा
19	3403	अश्विनी कुमार सिंह-II
20	3404	अनुपम सिंह
21	3409	सौरभ गंगवार
22	3412	निहारिका यादव
23	3413	कल्पना यादव
24	3421	प्रशांत कुमार खेवरिया
25	3422	राजीव कुमार-V
26	3424	भानु प्रताप
27	3428	अनुराग अटोरिया
28	3439	राजीव नयन तिवारी
29	3440	धर्मेन्द्र कुमार-II
30	3509	रीना गौतम
31	3286	राहत चाँद (दिव्यांग श्रेणी)
32	3527	अभिशेक कुमार दुबे (दिव्यांग श्रेणी)

2–उक्त अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग–8
तैनाती / प्रोन्नति
11 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 2252 / एक-8-2022-रा0-8–श्री राज्यपाल महोदया, श्री रणविजय सिंह, उप संचालक चकबन्दी, सम्भल, को संयुक्त संचालक चकबन्दी के पद (वेतन पे-मैट्रिक्स लेवल-12) पर प्रोन्नत करते हुए चकबन्दी मुख्यालय, लखनऊ में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री रणविजय सिंह को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही संयुक्त संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3–प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री रणविजय सिंह, संयुक्त संचालक चकबन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा, यदि इस अवधि को बढ़ाया न जाय, पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-14

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 744/एक-14-2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (3) के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिला गोरखपुर के तैंतालीस ग्रामों, जो सरकारी अधिसूचना संख्या-323/1-14/2001-49(2)/95 दिनांक 29 जनवरी, 2001 व अधिसूचना संख्या-2321/1-14/2001-49(2)/95 दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखे गये थे, में उक्त संक्रियायें, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

अनुसूची

क्र0	ग्राम	तप्पा	परगना	तहसील	जिला	अधिसूचना संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	जंगल महताबराय	कस्बा	हवेली	गोरखपुर	गोरखपुर	323/1-14/2001-49(2)/95 दिनांक 29 जनवरी, 2001
2	कुई	राजधानी	,,	,,	,,	,,
3	सेमरौना	,,	,,	चौरी चौरा	,,	,,
4	मीरपुर	पचवारा	,,	गोरखपुर	,,	,,
5	बौठा	राजधानी	,,	चौरी चौरा	,,	,,
6	मटियारी	पचवारा	,,	गोरखपुर	,,	,,
7	सुग्गाटारी एहत0	हवेली	,,	,,	,,	,,
8	लालपुर टीकर	,,	,,	,,	,,	,,
9	भौरामल	गौरा	,,	,,	,,	,,
10	बेतउवा उर्फ चनउ	हवेली	,,	,,	,,	,,
11	पिपरी	भैवापार	,,	,,	,,	,,
12	चेरिया	,,	,,	,,	,,	,,
13	खरखूटा	राजधानी	,,	चौरी चौरा	,,	,,
14	पोतहरा	पचवारा	,,	गोरखपुर	,,	,,
15	डोमनी	हवेली	,,	,,	,,	,,
16	आबूराम	पचवारा	,,	,,	,,	,,
17	जसवल	,,	,,	कैम्पियरगंज	,,	,,
18	सेमराखुर्द	सेमरा	चिल्लूपार	गोला	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
19	नरहरपुर	सिकन्दरपुर	चिल्लूपार	गोला	गोरखपुर	323 / 1-14 / 2001-49(2) / 95 दिनांक 29 जनवरी, 2001
20	मझवलिया	मझवलिया	,,	,,	,,	,,
21	कटघरा	सेमरा	,,	,,	,,	,,
22	छपरा	मझवलिया	,,	,,	,,	,,
23	खुटभार मुस्त0	पतरा	,,	,,	,,	,,
24	पौहरिया	सेमरा	,,	,,	,,	2321 / 1-14 / 2001-49(2) / 95 दिनांक 10 अगस्त, 2001
25	पटना एहत0	सिकन्दरपुर	,,	,,	,,	,,
26	सरयाखास	,,	,,	,,	,,	,,
27	कोहडाभावर	,,	,,	,,	,,	323 / 1-14 / 2001-49(2) / 95 दिनांक 29 जनवरी, 2001
28	गहिराघाट	मझवलिया	,,	,,	,,	,,
29	नरही	सिकन्दरपुर	,,	,,	,,	,,
30	मोहन पौहरिया	,,	,,	,,	,,	,,
31	बैरियाडीह एहत0	मझवलिया	,,	,,	,,	,,
32	सेमरानी	राजधानी	हवेली	चौरी चौरा	,,	,,
33	चितहरी	,,	,,	,,	,,	,,
34	तालबिजरा	कुशवासी	भौवापुर	बांसगाव	,,	,,
35	गरयाकोल	मझवलिया	चिल्लूपार	,,	,,	,,
36	गडही एहत0	गगहा	भौवापुर	,,	,,	,,
37	राउतपार	रामपुरकोठा	,,	,,	,,	,,
38	सरार मंझगावा	राजधानी	हवेली	चौरी चौरा	,,	,,
39	सिहोरवा	,,	,,	,,	,,	,,
40	तालदेवेन्दा	मजुरी	भौवापुर	बांसगाव	,,	,,
41	बेलकुर	गगहा	,,	,,	,,	,,
42	गंगाचक	,,	,,	,,	,,	,,
43	जगदीशपुर	,,	,,	,,	,,	2321 / 1-14 / 2001-49(2) / 95 दिनांक 10 अगस्त, 2001

आज्ञा से,
प्रभु एन0 सिंह,
सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Rajaswa Anubhag-14

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 744/1-14/2022,** dated November 18, 2022.

NOTIFICATION

November 18, 2022

No. 744/1-14/2022--In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. 3 of 1901) read with sub-section (3) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that Survey and Record Operations in forty three villages of District Gorakhpur mentioned in the Schedule below, which were placed under the said operations vide Government Notification no. 323/1-14/2001-49(2)/95 dated January 29, 2001, and Notification no. 2321/1-14/2001-49(2)/95 dated August 10, 2001, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

Schedule

Sl. No.	Village	Tappa	Pargana	Tehsil	District	Notification No. and Date
1	2	3	4	5	6	7
1	Jangal Mahtabray	Kasba	Haveli	Gorakhpur	Gorakhpur	323/1-14/2001-49(2)/95 Dated January 29, 2001
2	Kuee	Rajdhani	”	”	”	”
3	Semrauna	”	”	Chauri Chaura	”	”
4	Meerpur	Pachvara	”	Gorakhpur	”	”
5	Bautha	Rajdhani	”	Chauri Chaura	”	”
6	Matiyari	Pachvara	”	Gorakhpur	”	”
7	Suggatari Ehatmali	Haveli	”	”	”	”
8	Lalpur Teekar	”	”	”	”	”
9	Bhauramal	Gaura	”	”	”	”
10	Betauva *urf* Chanau	Haveli	”	”	”	”
11	Pipari	Bhauvapar	”	”	”	”
12	Cheriya	”	”	”	”	”
13	Kharkhuta	Rajdhani	”	”	”	”
14	Potahara	Pachvara	”	”	”	”
15	Domani	Haveli	”	”	”	”
16	Aaburam	Pachvara	”	”	”	”
17	Jasaval	Pachvara	”	Kaimpiyarganj	”	”

1	2	3	4	5	6	7
18	Semarakhurd	Semara	Chillupar	Gola	Gorakhpur	323/1-14/2001-49(2)/95 Dated January 29, 2001
19	Narharpur	Sikandarpur	”	”	”	”
20	Majhvaliya	Majhvaliya	”	”	”	”
21	Katghara	Semara	”	”	”	”
22	Chhapara	Majhvaliya	”	”	”	”
23	Khutbhar Must	Patara	”	”	”	”
24	Pauhariya	Semara	”	”	”	2321/1-14/2001-49(2)/95 Dated August 10, 2001
25	Patana Ehatmali	Sikandarpur	”	”	”	”
26	Sarayakhas	”	”	”	”	”
27	Kohdabhavar	”	”	”	”	323/1-14/2001-49(2)/95 Dated January 29, 2001
28	Gahiraghat	Majhvaliya	”	”	”	”
29	Narahi	Sikandarpur	”	”	”	”
30	Mohan Pauhariya	”	”	”	”	”
31	Bairiyadeeh Ehatmali	Majhvaliya	”	”	”	”
32	Semarani	Rajdhani	Haveli	Chauri Chaura	”	”
33	Chitahari	”	”	”	”	”
34	Talbijra	Kushvasi	Bhauvapar	Bansganv	”	”
35	Garayakol	Majhvaliya	Chillupar	”	”	”
36	Gadahi Ehatmali	Gagaha	Bhauvapar	”	”	”
37	Rautpar	Rampurkotha	”	”	”	”
38	Sarar Manjhgavan	Rajdhani	Haveli	Chauri Chaura	”	”
39	Sihorva	”	”	”	”	”
40	Taldevenda	Majuri	Bhauvapar	Bansganv	”	”
41	Belkur	Gagaha	”	”	”	”
42	Gangachak	”	”	”	”	”
43	Jagdeeshpur	”	”	”	”	2321/1-14/2001-49(2)/95 Dated August 10, 2001

By order,
PRABHU N. SINGH,
Secretary.

सं0 745/एक-14-2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से जिला फतेहपुर का ग्राम कोर्राकनक, परगना एवं तहसील फतेहपुर, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा जायेगा।

आज्ञा से,
प्रभु एन0 सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 745/1-14/2022,** dated November 18, 2022.

No. 745/1-14/2022--In exercise of the powers under sub-section (1) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Uttar Pradesh Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the Village Korra Kanak Paragna and Tehsil Fatehpur of District Fatehpur shall be placed under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,
PRABHU N. SINGH,
Secretary.

सं0 746/एक-14-2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से जिला बांदा का ग्राम लोमर खादर, परगना एवं तहसील पैलानी, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा जायेगा।

आज्ञा से,
प्रभु एन0 सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 746/1-14/2022,** dated November 18, 2022.

No. 746/1-14/2022--In exercise of the powers under sub-section (1) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Uttar Pradesh Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the Village Lomar Khadar Paragna and Tehsil Pailani of District Banda shall be placed under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,
PRABHU N. SINGH,
Secretary.

अनुभाग—8

प्रोन्नति

11 जनवरी, 2023 ई0

सं0 I/259973/61/एक-8-2023-रा0-8—श्री राज्यपाल महोदया चकबन्दी विभाग में कार्यरत निम्नलिखित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण को वर्तमान तैनाती के जनपद में उप संचालक चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 6600/—) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं:—

क्रम सं0	बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का नाम
1	2
	सर्वश्री—
1	राजेन्द्र सिंह
2	ज्ञानेश कुमार त्रिपाठी
3	आलोक कुमार सिंह
4	सुरेश चन्द्र जायसवाल

2–उक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप संचालक चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3–प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारीगण उप संचालक चकबन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा, यदि इस अवधि को बढ़ाया न जाय, पर रहेंगे।

4–उक्त अधिकारीगण की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

08 फरवरी, 2023 ई0

सं0 I/272132/एक-8-2023-रा0-8–तात्कालिक प्रभाव से कार्यहित/जनहित में श्री संतोश कुमार सिंह, उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद आजमगढ़ से जनपद बुलन्दशहर में एतद्द्वारा स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

2–श्री संतोश कुमार सिंह, उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालन आख्या शासन एवं चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,
प्रभु एन0 सिंह,
सचिव।

14 फरवरी, 2023 ई0

सं0 I/274521/एक-8-2023-रा0-8/1-8001(002)/2/2022–तात्कालिक प्रभाव से अधोलिखित सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नव प्रोन्नत उप संचालक चकबन्दीगण को सम्यक् विचारोपरान्त सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

क्रम सं0	उप संचालक चकबन्दीगण का नाम /वर्तमान तैनाती का स्थान	पद एवं तैनाती का जनपद
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	राजेन्द्र सिंह, उप संचालक चकबन्दी, इटावा	उप संचालक चकबन्दी, बस्ती
2	ज्ञानेश कुमार त्रिपाठी, उप संचालक चकबन्दी, औरैया	उप संचालक चकबन्दी, हरदोई
3	आलोक कुमार सिंह, उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी	उप संचालक चकबन्दी, सुलतानपुर
4	सुरेश चन्द्र जायसवाल, उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़	उप संचालक चकबन्दी, सम्भल

2–उपर्युक्त उप संचालक चकबन्दीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालन आख्या शासन एवं चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

18 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 I/303008/एक-8-2023-रा0-8—श्री संजय श्रीवास्तव (जन्म तिथि दिनांक 07 मई, 1963) तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मीरजापुर सम्प्रति हमीरपुर द्वारा अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण शासन को (नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में) सम्बोधित पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2022 जो शासन में दिनांक 19 जुलाई, 2022 को प्राप्त हुआ, से शासनादेश संख्या-5/7/77(3)कार्मिक-1 दिनांक 24 अगस्त, 1977 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किय जाने का अनुरोध किया गया।

2—स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में उ0प्र0 मूल नियमावली के नियम-56 (ग) में उपबंध है कि सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। मूल नियम-56 (घ) के अनुसार ऐसी सूचना की अवधि 03 मास है।

3—श्री संजय श्रीवास्तव तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मीरजापुर सम्प्रति हमीरपुर का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2022, शासन में दिनांक 19 जुलाई, 2022 को चकबन्दी निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अतः श्री संजय श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2022 में उल्लिखित स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री संजय श्रीवास्तव को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उनके नियुक्ति प्राधिकारी को पत्र प्राप्ति के 03 माह की अवधि पूर्ण होने की तिथि 19 अक्टूबर, 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0 I/303011/एक-8-2023-रा0-8—श्री विजय कुमार उपाध्याय (जन्म तिथि दिनांक 06 मई, 1965) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरदोई द्वारा शासन को (नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में) सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2022, जो शासन में चकबन्दी निदेशालय के माध्यम से दिनांक 26 अगस्त, 2022 को प्राप्त हुआ है। श्री विजय कुमार उपाध्याय द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जानें का अनुरोध किया गया हैं।

2—स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56(ग) उपबंध है कि सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। मूल नियम-56(घ) के अनुसार ऐसी सूचना की अवधि 03 मास है।

3—चूंकि श्री विजय कुमार उपाध्याय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरदोई का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2022, शासन में दिनांक 26 अगस्त, 2022 को चकबन्दी निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं। अतः श्री विजय कुमार उपाध्याय के प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2022 में उल्लिखित पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री विजय कुमार उपाध्याय को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उनके नियुक्ति प्राधिकारी को पत्र प्राप्ति के 03 माह की अवधि पूर्ण होने की तिथि 26 नवम्बर, 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 2894/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 4232/चार-10(56)/67, दिनांक 28 फरवरी, 1968			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	ग्राम मण्डावर	कण्वाश्रम	–	–	–	स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण मूलस्वरूप नष्ट होने से स्मारक अस्तिव में नहीं है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, बिजनौर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2898/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 2395/चार-10(51)/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	ग्राम बम्हेरा तहसील सिधौली	कोट टीला	166	9 बीघा 19 बिस्वा	पूर्व–गाटा सं0 165 और 177 परिचम–गाटा सं0 27, 167 और 169 उत्तर–गाटा सं0 170, 171 और 176 दक्षिण–गाटा सं0 39 और 52	टीले के अधिकांश भाग में स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2899/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 5753/चार-10(06)/70, दिनांक 20 जून, 1978			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद का टीला	4422 4423 4430 4428	200 वर्ग गज	पूर्व– पश्चिम– सड़क उत्तर–शाहाबाद पाली सड़क दक्षिण–	सम्पूर्ण टीले में अतिक्रमण से टीला वर्तमान समय में कस्बे में परिवर्तित हो गया है और इसका मूलस्वरूप नष्ट हो गया है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, हरदोई को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2900/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 324 / चार-10(06) / 70, दिनांक 27 मई, 1976			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी शहर	फूटा दरवाजे के सामने की भूमि	4058	9.11 एकड़	पूर्व– काकनबाग रोड का मोटर स्टैण्ड पश्चिम– खसरा सं0 4058 उत्तर–बस स्टैण्ड और टीला दक्षिण– खसरा सं0 4058	भूमि में अत्याधिक अतिक्रमण होने के कारण।
2	,,	,,	,,	रानी महल के सामने की भूमि	3952	8.96 एकड़	पूर्व– बस स्टैण्ड हाइडिल और पुलिस क्वार्टर पश्चिम– मिनोवा टाकीज से रोड उत्तर–मानिक चौक से रोड दक्षिण– मकान नं0 79 / 3	भूमि पर नगर निगम, जल संस्थान एवं उ0प्र0 पुलिस आदि द्वारा निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किये गये हैं।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, झांसी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2901 / चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों / स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 3553 / चार-2010, दिनांक 21 जनवरी, 2011			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	ग्राम सहिजन खुर्द, तहसील रार्बटगंज	पंचमुखी एवं चित्रित शैलाश्रय	खसरा सं0 220 खतौनी सं0 169	9.773 एकड़	पूर्व– पहाड़ पश्चिम– पहाड़ उत्तर–कच्ची रोड दक्षिण–पहाड़	संरक्षित क्षेत्र में एक भी चित्रित शैलाश्रय / शैल चित्र नहीं है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2902 / चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों / स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 5733 / चार-10(06) / 70, दिनांक 31 जनवरी, 1978			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	सोनभद्र	रॉक शेल्टर (चित्रित शैलाश्रय)	4528 4507 4506 206	664 बीघा	पूर्व– सुनयपुर पश्चिम– परगना गंगारी उत्तर–ग्राम रपुआ दक्षिण– ग्राम रपुआ	अस्तित्व में नहीं है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2903/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा, नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु जैन कमेटी द्वारा अनुरक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करने आदि के कारण पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैंः–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 4652/चार-10(51)/81, दिनांक 03 दिसम्बर, 1982			
					संरक्षण के अधीन क्षेत्रफल लिये जाने वाली हेक्टयर/राजस्व गाटा सं0 एकड़ में		सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	तहसील चुनार, ग्राम राजापुर	मैगालिथिक अवशेष	5/6	300 वर्ग फिट	पूर्व– नदी पश्चिम– पथ उत्तर– नदी दक्षिण– पथ	वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है।
2	''	''	तहसील चुनार, ग्राम निकारिका	कोटवार पहाड़ मैगा लिथिक अवशेष	76	10 बीघा	पूर्व– नाला पश्चिम– गाटा सं0 76 एवं नाला उत्तर– गाटा सं0 76 एवं नाला दक्षिण– गाटा सं0 76	वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2904/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैंः–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 5653 / चार-10(29) / 61, दिनांक 03 मई, 1967			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	जलालगंज	सई नदी का पुल	–	–	–	यह सार्वजनिक यातायात हेतु प्रयुक्त पुल है। पुल का रख–रखाव, जीर्णाद्वार का दायित्व सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2905 / चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों / स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 5753 / चार-10(06) / 70, दिनांक 20 जून, 1978			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	जौनपुर शहर	शाहीपुल	खसरा सं0 5, 30 डिसमल 6 और 8		पूर्व– गोमती नदी पश्चिम–गोमती नदी उत्तर–जौनपुर नगर दक्षिण–जौनपुर नगर	यह सार्वजनिक यातायात हेतु प्रयुक्त पुल है। पुल का रख–रखाव, जीर्णाद्वार का दायित्व शा0आदेश सं0 2170 / चार–10 (147) / 80 दिनांक 07 जून, 1984 द्वारा लेखा निर्माण विभाग को दिया गया है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2906/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	लैण्ड एक्जीजिशन आफिसर, वाराणसी के पत्र सं0 1845 एवं 1846/VIII-L.A.O. दिनांक 09 मई, 1965 द्वारा भूमि विभाग को हस्तान्तरित की गयी।			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	ग्राम लहरतारा	लहरतारा तालाब	55 249/2 248 255/2 255/3 255/4	0.21 एकड़ 0.37 एकड़ 0.275 एकड़ 3.45 एकड़ 0.34 एकड़ 0.23 एकड़ **4.875 एकड़**	—	उ0प्र0 राज्य परामर्शदात्री समिति में दिनांक 04 अगस्त, 1990 की बैठक में तालाब को उ0प्र0 राज्य पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित करने की संस्तुति की गयी थी। इसका विकास पर्यटन विभाग द्वारा कराये जाने हेतु पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

सं0 2907/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, द्वारा नीचे अनुसूची में

वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में असंरक्षित घोषित करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 4652/चार-10(51)/81, दिनांक 03 दिसम्बर, 1982			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	ग्राम महुवर तहसील किरावली	मोहरी का प्राचीन टीला	गाटा सं0 29	10 बीघा	पूर्व– गाटा सं0 28 और 359 पश्चिम– गाटा सं0 105 एवं 272 उत्तर– गाटा सं0 28, 30 एवं 105 दक्षिण– गाटा सं0 359	स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण करने से मूलस्वरूप नष्ट हो गया है। वर्तमान में टीला अस्तिव में नहीं है।
2	,,	,,	ग्राम जगौनरा तहसील किरावली	जगौनरा टीला	गाटा सं0 1037	01 बीघा	पूर्व– गाटा सं0 1099 पश्चिम– गाटा सं0 1030 एवं 1031 उत्तर– गाटा सं0 139, 1057 एवं 1069 दक्षिण– गाटा सं0 1032, 1100 और 1936	स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण करने से मूलस्वरूप नष्ट हो गया है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, आगरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगी।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–9 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

July 04, 2022

No. 1371/Admin.(Services)/2022-In continuation of the Court's Notification No. 534/Admin. (Services)/2022, dated 03-07-2022, Sri Anurag Panwar, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1372/Admin.(Services)/2022-Sri Neel Kant Mani Tripathi, Joint Registrar (Judicial) (Litigation), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Litigation), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1373/Admin. (Services)/2022-In continuation of the Court's Notification No. 461/Admin. (Services)/2022, dated 03-07-2022, Sri Mayur Jain, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Joint Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1374/Admin.(Services)/2022-Sri Ashok Kumar Singh-VIII, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jaunpur to be Joint Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1375/Admin.(Services)/2022-Sri Yogesh Dubey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chandauli to be Joint Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

July 07, 2022

No. 1376/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Notification No. /2022/592/VII-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 01 July, 2022, Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional District & Sessions Judge, Maharajganj is appointed/posted as Additional Principal Judge, Family Court, Maharajganj.

No. 1377/Admin.(Sevices)/2022- Sri Brahmatej Chaturvedi, Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Enquiry), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1378/Admin.(Sevices)/2022-In supersession of the Court's Notification No. 1374/Admin. (Services)/2022 dated 04-07-2022, Sri Ashok Kumar Singh-VIII, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jaunpur to be Joint Registrar (Judicial) (Computer), High Court of Judicature at Allahabad.

July 08, 2022

No. 1379/Admin.(Services)/2022-Sri Rahul Anand, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B), Gorakhpur *vice* Sri Subodh Varshney.

No. 1380/Admin. (Services)/2022-Sri Subodh Varshney, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B), Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 1381/Admin. (Services)/2022-Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Session Judge/Special Judge, Gorakhpur *vice* Sri Santosh Kumar Gautam.

He is also appointed under section 12-A U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gorakhpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1382 /Admin. (Services)/2022-Sri Santosh Kumar Gautam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 1383/Admin. (Services)/2022-Pursuant to Government O. M. No. 385/Do-4-2022, dated 08-07-2022, Sri Gajendra, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur is appointed/posted as Special Secretary and Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U. P., Lucknow, on deputation basis.

No. 1384 admin. (Services)/2022-Pursuant to Government O. M. No. 385/Do-4-2022 dated 08-07-2022, Sri Balkrishna N. Ranjan, Additional District & Sessions Judge, Barabanki is appointed/posted as Special Secretary and Additional Legal Remembrancer (Nyay-Vibhag), Government of U. P., Lucknow on deputation basis.

July 11, 2022

No. 1385/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Mohd. Asharaf Ansari, Additional District & Sessions Judge, Banda till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1386/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Harendra Bahadur Singh, Additional District & Sessions Judge, Bareilly till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1387/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Jagdish Prasad-V, Additional District & Sessions Judge, Chandauli till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1388/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Chandra Shekhar-II, Additional District & Sessions Judge, Firozabad till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1389/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Jaitendra Kumar, Additional District & Sessions Judge, Jhansi till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1390/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby

delegates Financial Powers to Sri Arvind Rai, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1391/Admin.(Sevices)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Veena Narain, Additional Principal Judge, Family Court, Meerut till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

July 13, 2022

No. 1392/Admin. (Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Shakti Putra Tomar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

July 29, 2022

No. 1393/Admin. (Services)/2022-Sri Anshuman Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Faizabad for trying cases of crime against women *vice* Sushri Anjali Pandey.

No. 1394/Admin. (Services)/2022-Sushri Anjali Pandey, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Faizabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Faizabad against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Pankaj Kumar.

No. 1395/Admin. (Services)/2022-Pursuant to U. P. Government Notification No. /2022/565/Saat-Nyay-2-2022-216G/2007 T.C.-I dated 05-07-2022, Sri Pankaj Kumar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Faizabad is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Rudauli District Faizabad in the newly created court created vide G. O. No. 25/2015/1462/ VII-Nyay-2-2015-216G/ 2007 dated 24-11-2015.

No. 1396/Admin. (Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification No. /2022/565/Saat-Nyay-2-2022-216G/2007 T.C.-I dated 05-07-2022, Sri Raj Deep Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil-Bikapur, District Faizabad in the newly created court created vide G.O. No. 1532/VII- Nyaya-2-2013-216G/2007 dated 17-02-2014.

No. 1397/Admin. (Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification No. 14/ 2022/593/ Saat-Nyay- 2-2022- 216G/ 2007 T. C.-I, dated 11-07-2022, Sri Aniruddh Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Allahabad is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil Meja, District Allahabad in the newly created court created vide G. O. No. 25/2015/1462/ VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24-11-2015.

No. 1398/Admin.(Services)/2022-Sushri Monika, Civil Judge (Junior Division), Ghaziabad is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Ghaziabad *vice* Sushri Varuna Basist.

No. 1399/Admin.(Services)/2022-Sushri Varuna Basist, Judicial Magistrate, First Class, Ghaziabad to be (Civil Judge, Junior Division), Ghaziabad *vice* Sushri Monika.

No. 1400/Admin. (Services)/2022-Smt. Sonali Ratna, Judicial Magistrate, First Class, Hapur to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur *vice* Smt. Farheen Khan.

No. 1401/Admin. (Services)/2022-Smt. Farheen Khan, 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hapur *vice* Smt. Sonali Ratna.

No. 1402/Admin.(Services)/2022-Sri Mohammad Arif, Civil Judge (Junior Division) (City), Saharanpur is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sushri Geetika Garg.

No. 1403/Admin. (Services)/2022-Sushri Geetika Garg, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Civil Judge (Junior Division) (City), Saharanpur *vice* Sri Mohammad Arif.

No. 1404/Admin. (Services)/2022-Sushri Komal Srivastava, Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Sri Pawan Kumar Singh.

No. 1405/Admin. (Services)/2022-Sri Pawan Kumar Singh, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 1406/Admin.(Services)/2022-Sri Dharmendra Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Smt. Alka.

No. 1407/Admin. (Services)/2022-Smt. Alka, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

August 01, 2022

No. 1408/Admin. (Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vishnu Chandra Vaish, Additional District & Judge, Farrukhabad till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1409/Admin. (Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-Il, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vishambhar Prasad, Additional District & Sessions Judge, Kannauj till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1410/Admin. (Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Dr. Shalini Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1411/Admin. (Services)/2022-Sri Akhilesh Kumar, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Irfan Ahmad.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1412/Admin. (Services)/2022-Sri Irfan Ahmad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Udai Bhan Singh.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1413/Admin. (Services)/2022-Sri Udai Bhan Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ram Kesh.

No. 1414/Admin. (Services)/2022-Sri Ram Kesh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1415/Admin. (Services)/2022-Sri Ajay Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hathras for trying cases of crime against women in the vacant Court.

August 02, 2022

No. 1416 /Admin. (Services)/2022-Sri Dhamma Kumar Sidharth, Additional Civil Judge (Junior Division), Ballia to be Civil Judge (Junior Division), Rasra (Ballia) in the court shifted from district headquarter Ballia to Rasra (Ballia) created vide G.O. No. 10/2016/870/VII-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016 read with G.O. No. /2022/838/ VII-Nyay-2-2021-131G/2019 dated 27-04-2022.

No. 1417/Admin. (Services)/2022-Sri Mritunjay Srivastava, Civil Judge, Senior Division (Fast Track

Court), Shrawasti at Bhinga to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Shrawasti at Bhinga *vice* Smt. Ritu Nagar.

No. 1418/Admin. (Services)/2022-Smt. Ritu Nagar, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Shrawasti at Bhinga to be Civil Judge, Senior Division, Shrawasti at Bhinga *vice* Smt. Karuna Singh.

No. 1419/Admin. (Services)/2022-Smt. Karuna Singh, Civil Judge, Senior Division, Shrawasti at Bhinga to be Chief Judicial Magistrate, Shrawasti at Bhinga in the vacant court.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Shrawasti at Bhinga.

August 18, 2022

No. 1420/Admin. (Services)/2022-Pursuant to Government's Corrigendum No. 563/Do-4-2022 dated 11-08-2022, words "Uttar Pradesh, Jal Nigam, Lucknow" as mentioned in the Court's Notification No. 2222/Admin.(Services)/2021 dated 04-12-2021 be read as "Uttar Pradesh, Jal Nigam, Lucknow (Urban)".

August 23, 2022

No. 1421/Admin. (Services)/2022-Sushri Nancy Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate. First Class, Sitapur *vice* Smt. Kavya Srivastava.

No. 1422/Admin. (Services)/2022-Smt. Kavya Srivastava, Judicial Magistrate, First Class, Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lucknow in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

No. 1423/Admin. (Services)/2022-Sri Prashant Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class Faizabad *vice* Smt. Suman Solanki.

No. 1424/Admin. (Services)/2022-Smt. Suman Solanki, Judicial Magistrate. First. Class. Faizabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad.

No. 1425/Admin. (Services)/2022-Smt. Pragya Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad to be Civil Judge (Junior Division), Baghpat *vice* Sushri Suman.

No. 1426/Admin.(Services)/2022-Sushri Suman, Civil Judge (Junior Division), Baghpat is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class. Baghpat *vice* Sushri Pooja Suhag.

No. 1427/Admin. (Services)/2022-Sushri Pooja Suhag, Judicial Magistrate, First Class, Baghpat to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Baghpat *vice* Sri Rajan Rathee.

No. 1428/Admin. (Services)/2022-Sri Rajan Rathee, 2nd Civil Judge (Junior Division), Baghpat to be Additional Civil Judge (Junior Division), Baghpat.

No. 1429/Admin. (Services)/2022-Smt. Shital Priyadarshi, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Jhansi to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 1430/Admin. (Services)/2022-Sri Asgar Ali, Additional Civil Judge, Senior Division, Maharajganj to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Maharajganj *vice* Smt. Astha Srivastava.

No. 1431/Admin. (Services)/2022-Smt. Astha Srivastava, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Maharajganj to be Civil Judge, Senior Division, Maharajganj *vice* Sri Saurabh Srivastava.

No. 1432/Admin. (Services)/2022-Sri Saurabh Srivastava, Civil Judge, Senior Division, Maharajganj to be Chief Judicial Magistrate, Maharajganj *vice* Dr. Suresh Kumar.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Maharajganj.

No. 1433/Admin. (Services)/2022-Dr. Suresh Kumar, Chief Judicial Magistrate, Maharajganj to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Amroha *vice* Sri Arvind Verma.

No. 1434/Admin. (Services)/2022-Sri Arvind Verma, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Amroha to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Amroha.

No. 1435/Admin. (Services)/2022-Smt. Swati Chandra, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Auraiya to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Auraiya *vice* Smt. Shahnaz Ansari.

No. 1436/Admin. (Services)/2022-Smt. Shahnaz Ansari, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Auraiya to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kairana (Shamli at Kairana) in the vacant Court.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kairana (Shamli at Kairana).

No. 1437/Admin. (Services)/2022- Sri Krishna Kumar-VII, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Bahraich to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bahraich *vice* Smt. Pratibha Chaudhary.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bahraich.

No. 1438/Admin. (Services)/2022-Smt. Pratibha Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate, Bahraich to be Civil Judge, Senior Division, Bahraich *vice* Sri Shivendra Kumar Mishra.

No. 1439/Admin. (Services)/2022-Sri Shivendra Kumar Mishra, Civil Judge, Senior Division, Bahraich to be Chief Judicial Magistrate, Bahraich *vice* Smt. Sarvottama Nagesh Sharma.

No. 1440/Admin.(Services)/2022-Smt. Sarvottama Nagesh Sharma, Chief Judicial Magistrate, Bahraich to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gautambuddha Nagar *vice* Sri Jaihind Kumar Singh.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gautambuddha Nagar.

No. 1441/Admin. (Services)/2022-Sri Jaihind Kumar Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Gautambuddha Nagar to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Gautambuddha Nagar *vice* Sushri Shivani Tyagi.

No. 1442/Admin.(Services)/2022-Sushri Shivani Tyagi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Gautambuddha Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Gautambuddha Nagar.

No.1443/Admin.(Services)/2022-Sushri Kumud Upadhyay, Additional Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Secretary (full time), District Legal Services Authority, Hathras *vice* Smt. Apeksha Singh.

No. 1444/Admin. (Services)/2022-Smt. Apeksha Singh, Secretary (full time), District Legal Services Authority, Hathras to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras *vice* Smt. Chetna Singh.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hathras.

No. 1445/Admin. (Services)/2022-Smt. Chetna Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Allahabad.

No. 1446/Admin. (Services)/2022-Sri Devendra Pratap Singh, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Azamgarh to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Azamgarh *vice* Sushri Anita.

No. 1447/Admin. (Services)/2022-Sushri Anita, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Azamgarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh *vice* Sri Ashok Kumar Singh-IX.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of

1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Azamgarh.

No. 1448/Admin. (Services)/2022-Sri Ashok Kumar Singh-IX, Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh to be Civil Judge, Senior Division, Azamgarh *vice* Sri Yashwant Kumar Saroj.

No. 1449/Admin. (Services)/2022-Sri Yashwant Kumar Saroj, Civil Judge, Senior Division, Azamgarh to be Chief Judicial Magistrate, Azamgarh *vice* Sri Atul Chaudhary.

No. 1450/Admin. (Services)/2022-Sri Atul Chaudhary, Chief Judicial Magistrate, Azamgarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad *vice* Smt. Minakshi Sinha.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Firozabad.

No. 1451/Admin.(Services)/2022-Smt. Minakshi Sinha, Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Firozabad *vice* Sri Prem Bahadur Singh.

No. 1452/Admin. (Services)/2022-Sri Prem Bahadur Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Firozabad to be Additional Civil Judge (Senior Division), Firozabad in the newly created court, created vide G.O. No. 10/2016/870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

No. 1453/Admin. (Services)/2022-Sri Rakesh Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ram Pratap Singh.

No. 1454/Admin. (Services)/2022-Sri Ram Pratap Singh, Spécial Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 1455/Admin. (Services)/2022-Smt. Pooja Singh, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 1456/Admin. (Services)/2022-Sri Nasir Ahmad-III, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Rajesh Kumar-III.

No. 1457/Admin. (Services)/2022-Sri Rajesh Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 1458/Admin. (Services)/2022-Dr. (Smt.) Pallavi Agarwal, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda *vice* Dr.(Smt.) Anamika Chauhan.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gonda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1459/Admin. (Services)/2022-Dr.(Smt.) Anamika Chauhan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 1460/Admin. (Services)/2022-Sri Anil Kumar Seth, Additional District & Sessions Judge, Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj for trying cases of crime against women *vice* Sri Chandra Mohan Srivastava.

No. 1461/Admin.(Services)/2022-Sri Chandra Mohan Srivastava, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 1462/Admin, (Services)/2022-Sri Amit Verma, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Smt. Sapna Tripathi.

No. 1463/Admin.(Services)/2022-Smt. Sapna Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 1464/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women *vice* Sri Gopal Ji.

No. 1465/Admin.(Services)/2022-Sri Gopal Ji, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1466/Admin.(Services)/2022-Smt. Vineeta Vimal, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women *vice* Smt. Deepika Tiwari.

No. 1467/Admin.(Services)/2022-Smt. Deepika Tiwari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1468/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Singh, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow for trying cases of crime against women *vice* Sri Pawan Kumar Rai.

No. 1469/Admin.(Services)/2022-Sri Pawan Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1470/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Auraiya for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Machala Agarwal.

No. 1471/Admin.(Services)/2022-Smt. Machala Agarwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1472/Admin.(Services)/2022-Sri Vijai Pal, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Yadavendra Singh.

No. 1473/Admin.(Services)/2022-Sri Yadavendra Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1474/Admin.(Services)/2022-Smt. Sangita Sharma, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar *vice* Sri Prashant Mittal.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1475/Admin.(Services)/2022-Sri Prashant Mittal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1476/Admin.(Services)/2022-Sri Mohd. Nasim, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1477/Admin.(Services)/2022-Sri Rakesh Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (V.B.-U.P.S.E.B.), Bareilly *vice* Sri Ajay Kumar Shahi,

No.1478/Admin.(Services)/2022-Sri Ajay Kumar Shahi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1479/Admin.(Services)/2022-Sri Abdul Quaiyum, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bareilly *vice* Sri Iftekhar Ahmad.

He is also appointed under section 12-A of U.P Esséntial Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bareilly against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1480/Admin.(Services)/2022-Sri Iftekhar Ahmad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1481/Admin.(Services)/2022-Sri Angad Prasad-II, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Bareilly for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Rajesh Chaudhary.

No. 1482/Admin.(Services)/2022-Sri Rajesh Chaudhary, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Sri Chandragupta.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1483/Admin.(Services)/2022-Sri Chandragupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1484/Admin.(Services)/2022-Sri Abhinay Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women *vice* Sri Dinesh Kumar Chaurasia.

No. 1485/Admin.(Services)/2022-Sri Dinesh Kumar Chaurasia, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Seema Verma.

No. 1486/Admin.(Services)/2022-Smt. Seema Verma, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Shamli at Kairana for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 1487/Admin.(Services)/2022-Smt. Poonam Pathak, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura for trying cases of crime against women *vice* Sri Prashant Kumar-I.

No. 1488/Admin.(Services)/2022-Sri Prashant Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women in the vacant court.

August 29, 2022

No. 1489/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjeev Shukla, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Faizabad to be Presiding Officer, Commercial Court, Faizabad.

No. 1490/Admin.(Services)/2022-Sri Harish Tripathi, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Lucknow to be Presiding Officer, Commercial Court, Lucknow.

August 30, 2022

No. 1491/Admin.(Services)/2022-Sri Vinod Kumar-III, District & Sessions Judge, Basti to be District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1492/Admin.(Services)/2022-Sri Ashwini Kumar Tripathi, District & Sessions Judge Saharanpur to be District & Sessions Judge, Farrukhabad.

No. 1493/Admin.(Services)/2022-Sri Santosh Rai, District & Sessions Judge, Fatehpur to be District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 1494/Admin.(Services)/2022-Sri Sandeep Jain, District & Sessions Judge, Etah to be District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1495/Admin.(Services)/2022-Sri Harvir Singh, District & Sessions Judge, Unnao to be District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1496/Admin.(Services)/2022-Sri Zafeer Ahmad, District & Sessions Judge, Budaun to be District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 1497/Admin.(Services)/2022-Sri Bhanu Deo Sharma, District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi to be District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 1498/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Shanker Pandey, District & Sessions Judge, Pratapgarh to be District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1499/Admin.(Services)/2022-Sri Ajai Kumar Srivastava-II, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kannauj to be District & Sessions Judge, Kannauj.

No. 1500/Admin.(Services)/2022-Smt. Babita Rani, Chairman, Administrative Tribunal-III & Member, Administrative Tribunal-I, Lucknow to be District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 1501/Admin.(Services)/2022-Smt. Kamlesh Kuchhal, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Agra to be District & Sessions Judge, Banda.

No. 1502/Admin.(Services)/2022-Sri Jai Prakash Pandey, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Moradabad to be District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 1503/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar-IV, Principal Judge, Family Court, Maharajganj to be District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 1504/Admin.(Services)/2022-Sri Raj Kumar Singh, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Meerut to be District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 1505/Admin.(Services)/2022-Sri Vijay Shanker Upadhyaya, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Bareilly to be District & Sessions Judge, Etah.

No. 1506/Admin.(Services)/2022-Sri Pankaj Kumar Agrawal, Principal Judge, Family Court, Allahabad to be District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1507/Admin.(Services)/2022-Smt. Pratima Srivastava, Member, Administrative Tribunal U.P.-II & III, Lucknow to be District & Sessions Judge, Unnao.

No. 1508/Admin.(Services)/2022-Sri Kuldeep Saxena, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Gorakhpur to be District & Sessions Judge, Basti.

No. 1509/Admin.(Services)/2022-Sri Pradeep Kumar Singh-II, Principal Judge, Family Court, Faizabad to be District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1510/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Kumar Malik, Principal Judge, Family Court, Aligarh to be District & Sessions Judge, Siddharthnagar. (*w.e.f.* 01-09-2022)

No. 1511/Admin.(Services)/2022-Sri Rananjay Kumar Verma, Principal Judge, Family Court, Auraiya to be District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 1512/Admin.(Services)/2022-Sri Anil Kumar-XIII, Principal Judge, Family Court, Mainpuri to be District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi.

September 01, 2022

No. 1513/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government O.M. No. 73/Do-4-2022 dated 31-08-2022, Sri Mukesh Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kannauj is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 1514/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.728/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-09-2022, Sri Shyam Jeet Yadav, District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Ghaziabad, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

No. 1515/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.728/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-09-2022, Sri Bhairav Lal, Additional District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Lucknow, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

No. 1516/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.728/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-09-2022, Sri Jagannath Mishra, Special Judge, S.C./S.T. Act (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Gautam Buddha Nagar, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

No. 1517/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.728/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-09-2022, Sri Chhatradhari Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Agra, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

No. 1518/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.728/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-09-2022, Sri Satyendra Singh Virwan, Additional District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Kanpur Nagar, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

September 02, 2022

No. 1519/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. /2022/734/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 02-09-2022, Sri Inder Preet Singh Josh, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Jhansi is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Meerut.

September 07, 2022

No. 1520/Admin.(Services)/2022-Sri Divesh Chandra Samant, District & Sessions Judge, Kasganj to be Special Officer (Vigilance), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 1521/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memorandum No. 739/Do-4-2022 dated 07-09-2022, Smt. Anita Raj, Principal Judge, Family Court, Basti is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hapur.

September 22, 2022

No. 1522/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Anil Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Kasganj till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 1523/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Garima Singh-I, Additional Principal Judge, Family. Court, Aligarh till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1524/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Nisha Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Allahabad till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1525/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Anju Kanaujia, Additional Principal Judge, Family Court, Basti till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1526/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Ekta Singh-I, Additional Principal Judge, Family Court, Faizabad till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1527/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional Principal Judge, Family Court, Maharajganj till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1528/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Lovey Yadav, Additional Principal Judge, Family Court, Mainpuri till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 1529/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.787/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 21-09-2022, the Court Notification No. 1514/Admin. (Services)/2022 dated 01-09-2022 is hereby cancelled.

No. 1530/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.787/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 21-09-2022, Sri Ghan Shyam Pathak, District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court at Ghaziabad, created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022.

September 26, 2022

No. 1531/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Anil Kumar Verma-I, District & Sessions Judge, Auraiya till the new Principal Judge, Family Court, Auraiya assumes charge of the office.

No. 1532/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri. Vijay Shanker Upadhyaya, District & Sessions Judge, Etah till the new Principal Judge, Family Court, Etah assumes charge of the office.

No. 1533/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Anil Kumar-XIII, District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi till the new Principal Judge, Family Court, Sambhal at Chandausi assumes charge of the office.

No. 1534/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Gaurav Kumar Srivastava, District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga till the new Principal Judge, Family Court, Shravasti at Bhinga assumes charge of the office.

September 27, 2022

No. 1535/Admin.(Services)/2022-Sri Vikas Srivastava-I, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Allahabad *vice* Sri Chandra Pal-II.

He is also appointed under section 12-A of U.P Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Allahabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1536/Admin.(Services)/2022-Sri Chandra Pal-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 1537/Admin.(Services)/2022-Sri Ratnesh Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Special Judge, Allahabad *vice* Sri Aniruddha Kumar Tiwari for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 1538/Admin.(Services)/2022-Sri Aniruddha Kumar Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

September 30, 2022

No. 1539/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Awadh Behari Singh, Additional District & Sessions Judge, Baghpat till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office. (*w.e.f.* 01-10-2022)

No. 1540/Admin.(Services)/2022-In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Rakhi Dixit, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office. (*w.e.f.* 01-10-2022)

No. 1541/Admin.(Services)/2022-Sri Pushkar Upadhyay, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-Corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Lucknow *vice* Sri Viveka Nand Sharan Tripathi.

No. 1542/Admin.(Services)/2022-Sri Viveka Nand Sharan Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1543/Admin.(Services)/2022-Sri Vijesh Kumar, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Sri Narendra Kumar-III.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1544/Admin.(Services)/2022-Sri Narendra Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1545/Admin.(Services)/2022-Sri Anurodh Mishra, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Lucknow *vice* Sri Prafull Kamal for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 1546/Admin.(Services)/2022-Sri Prafull Kamal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

October 13, 2022

No. 1547/Admin.(Services)/2022-Sri Subhash Singh, Additional District & Sessions Judge, Mohammadi (Lakhimpur Kheri) to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 1548/Admin.(Services)/2022-Sri Ramendra Kumar, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri *vice* Sri Rahul Singh-I.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions Act, 1981, as Special Judge at Lakhimpur Kheri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1549/Admin.(Services)/2022-Sri Rahul Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, *vice* Sri Mohan Kumar.

No. 1550/Admin.(Services)/2022-Sri Mohan Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Mohammadi (Lakhimpur Kheri).

October 14, 2022

No. 1551/Admin.(Services)/2022-Sri Dharmender Singh Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge (Junior Division), Nighasan (Lakhimpur Kheri) in the newly created court created vide G.O. No. 2783/ VII-Nyaya-2-07-202(25)/76 T.C. Dated 28.01.2008.

October 18, 2022

No. 1552/Admin.(Services)/2022-Sri Nishant Dev, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1553/Admin.(Services)/2022-Smt. Archana Yadav, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow for trying cases of crime against women *vice* Sri Vinay Singh.

No. 1554/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

October 21, 2022

No. 1555/Admin.(Services)/2022-Sri Lakshmi Kant Shukla, District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 1556/Admin.(Services)/2022-Sri Brajendra Mani Tripathi, District & Sessions Judge, Hapur to be District & Sessions Judge, Gonda.

No. 1557/Admin.(Services)/2022-Sri Ravindra Kumar-I, District & Sessions Judge, Gonda to be District & Sessions Judge, Hapur.

No. 1558/Admin.(Services)/2022-Sri Syed Maooz Bin Asim, Presiding Officer, Commercial Court, Kanpur Nagar to be District & Sessions Judge, Kasganj.

No. 1559/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjiv Pandey, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Gautam Buddh Nagar to be District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 1560/Admin.(Services)/2022-Sri Harish Tripathi, Presiding Officer, Commercial Court, Lucknow to be District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

October 22, 2022

No. 1561/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 1766/Saat-Nyay-1-2022-8(Pra)/2008 dated 21-10-2022, Smt. Shikha Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Varanasi is appointed/posted as Additional Director (Admin.), Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow on deputation basis.

November 01, 2022

No. 1562/Admin.(Services)/2022-Sri Ram Kishor-IV, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (VB-UPSEB), Lucknow *vice* Sri Pushkar Upadhyay.

No. 1563/Admin.(Services)/2022-Sri Pushkar Upadhyay, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Sri Vijesh Kumar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1564/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VI-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Vijesh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Court No. 3, Lucknow.

No. 1565/Admin.(Services)/2022-Sri Narendra Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Anurodh Mishra.

No. 1566/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VI-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Anurodh Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge. Lucknow is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Court No. 2. Lucknow.

No. 1567/Admin.(Services)/2022-On reversion to the regular line and pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VI-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Vatsal Srivastava, Registrar (Judicial) (Listing), High Court, Allahabad is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Court No. 1, Ghaziabad.

No. 1568/Admin.(Services)/2022-Sri Mukesh Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Ghaziabad *vice* Sri Hira Lal-III.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1569/Admin.(Services)/2022-Sri Hira Lal-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1570/Admin.(Services)/2022-Sri Ram Chandra Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Parvendra Kumar Sharma.

No. 1571/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VI-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Parvendra Kumar Sharma, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Court No. 2, Ghaziabad.

No. 1572/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VII-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Ishwar Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Court No. 3, Ghaziabad.

No. 1573/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. U.O.-80/VI-P-9-22-167G/09-Nyay-2 dated 31-10-2022, Sri Alok Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Special Judge, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad.

No. 1574/Admin.(Services)/2022-Smt. Shazia Nazar Zaidi, Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Baghpat for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Shailendra Pandey.

No. 1575/Admin.(Services)/2022-Sri Shailendra Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 1576/Admin.(Services)/2022-Sri Ifraque Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Firozabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant Court.

No. 1577/Admin.(Services)/2022-Sri Mayur Jain, Joint Registrar (Judicial), High Court, Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (Listing), High Court, Allahabad.

No. 1578/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government O.M. No. 837/Do-4-2022 dated 01-11-2022, Sri Gurpreet Singh Bawa, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Raebareli is appointed/ posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahar.

No. 1579/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No. 906/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-11-2022, Sri Rajendra Kumar-III, District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022 at Gautam Buddha Nagar in place of Sri Jagannath Mishra.

No. 1580/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.906/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 01-11-2022, Sri Mohammad Ali, Additional District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court created vide Government Order No. 674/ Saat- Nyay-2-2022- 173G /2015, dated 04-08-2022 at Ghaziabad in place of Sri Ghan Shyam Pathak.

November 11, 2022

No. 1581/Admin.(Services)/2022-Sri Rahul Prakash, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Sitapur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Santosh Kumar-II.

No. 1582/Admin.(Services)/2022-Sri Santosh Kumar-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग
प्रारूप-18
नियम-20 का उपनियम (2)
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

17 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1289/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/अमरोहा/20-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड–2, हरिद्वार (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम हरयाना व चांदपुर में कुल 0.2244 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है कि तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिससे समुचित सरकार द्वारा ..... दिनांक ..... को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :–

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है :

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	हरयाना	48	0.1752
			चांदपुर	254	0.0492
				कुल योग . .	**0.2244**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियावन्यन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
अमरोहा।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPTIATE GOVERNMENT/COLLECTOR
[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION
February 17, 2023

No. 1289/VIII/S.L.A.O.(J.O.)/Amroha/2023–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.2244 hectares of land is required in the Village-Haryana and Chandpur Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div-4, Amroha. (Name of Acquiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

Social Impact Assessment is not Applicable-

4. A total of zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector Amroha is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Haryana	48	0.1752
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Chandpur	254	0.0492
				Total . .	**0.2244**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may be within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e*., sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

30 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-5162/जी0-168A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम गिधारा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 फरवरी, 2023 ई0

सं0-692/जी0-33/2018-19(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हापुड़ जनपद हापुड़ के ग्राम सालारपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-693/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम नव्वा नगला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-697/जी0-168/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम देवीगढ़ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सुधीर गर्ग,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

15 मार्च, 2023 ई0

सं0-918/जी0-168/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना अठेहा जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम रेवली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-920/जी0-61/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं प्रभु एन0 सिंह,, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिलारी जनपद मुरादाबाद के ग्राम सुल्तानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

प्रभु एन0 सिंह,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

सं0-965/जी0-355A/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील अमरोहा वर्तमान तहसील नौगावा सादात, जनपद अमरोहा के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	अमरोहा	नौगावा सादात	—	1-तारापुर 2-बीझडा	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-966/जी0-355A/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	अमरोहा	हसनपुर	—	1-जल्लोपुर मुस्तहकम 2-मटैन मु0 3-मटैन जदीद ऐहतमाली	धारा-6 की उपधारा (1)

सुधीर गर्ग,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

20 मार्च, 2023 ई0

सं0-1029/जी0-48/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम सरदारपुर बाबू में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4733/जी0-48-80 दिनांक 13 अप्रैल, 1992 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1030/जी0-250/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर के ग्राम तिगरी रामगढ़ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2656/जी0-610/2012 दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1031/जी0-156/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील जमानियां वर्तमान तहसील सेवराई, जनपद गाजीपुर के ग्राम सेवराई में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4172/जी0-610/2012 दिनांक 29 अक्टुबर, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1032/जी0-161ए/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कर्वी नवसृजित तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5454/जी0-610/2012 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	चित्रकूट	राजापुर	–	1-बसन्तपुर 2-पटनाखालसा 3-बसहर 4-लमियारी	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1033/जी0-157/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरैया, जनपद बस्ती के ग्राम गंगापुर तप्पा खुरियार में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1034/जी0-157/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरैया, जनपद बस्ती के ग्राम रमवापुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-206/जी0-610/2016-17 दिनांक 13 जनवरी, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1035/जी0-157/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरैया, जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-206/जी0-610/2016-17 दिनांक 13 जनवरी, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	हर्रैया	–	1-खतमसराय 2-पाहीमाफी 3-मीरापुर 4-विक्रमजोत	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1036/जी0-610/2020-21/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद एटा के ग्राम सहोरी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1037/जी0-177/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम भगोला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-216/जी0-610/2016-17 दिनांक 10 जनवरी, 2019 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1038/जी0-233/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील शाहाबाद, जनपद हरदोई के ग्राम बन्दरहा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4172/जी0-610/2012 दिनांक 29 अक्टुबर, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1039/जी0-37/2022-23/धारा-6(1)–जनहित याचिका संख्या-1499/पी0आई0एल0/2022, रामवीर व अन्य

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2022 तथा जनहित याचिका संख्या-10043/2016, परमवीर व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च, 2016 के समादर में आदेश संख्या-78/जी0-22/2016-17(च0प्र0) दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा ग्राम उत्तमपुर, परगना हसनगढ़, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़ में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17ग में उल्लिखित गुटबन्दी/दलबन्दी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 07 जनवरी, 2022 व 15 अप्रैल, 2015 निस्तारित कर दिया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़ के ग्राम उत्तमपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3142/जी0-37/54-81 दिनांक 28 अगस्त, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1040/जी0-170/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के ग्राम तरौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4172/जी0-610/2012 दिनांक 29 अक्टुबर, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1041/जी0-38/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1426/जी0-610/2012 दिनांक 25 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	कन्नौज	छिबरामऊ	–	1-रामपुर बैजू 2-गिरधरपुर	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1042/जी0-157/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरैया, जनपद बस्ती के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-206/जी0-610/2016-17 दिनांक 13 जनवरी, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	हरैया	–	1-दुबौलिया 2-भदोई 3-कवलपुर	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1043/जी0-156/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील जमानियां वर्तमान तहसील सेवराई, जनपद गाजीपुर के ग्राम रामपुर उर्फ रामगढ़ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-63/जी0-610/2012 दिनांक 05 जनवरी, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1053/जी0 एस0-592/2022-23–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील

छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4631/जी0-610/2012 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	कन्नौज	छिबरामऊ	–	1-नन्दलालपुर 2-करनौली	धारा-6 की उपधारा (1)

21 मार्च, 2023 ई0

सं0-1073/जी0-168A/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 2321/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम उपाध्यायपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1091/जी0-167A/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम केशी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2931/जी0-610/2016-17 दिनांक 29 मई, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1092/जी0-161ए/2022-23/धारा-6(1)–रिट याचिका संख्या-1320/बी0/2022 संगम लाल मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 04 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 जून, 2022 के समादर में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या-7207/वि0प्र0/सा0 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा ग्राम बघवारा, परगना व तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17ग में उल्लिखित गुटबन्दी/दलबन्दी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 11 अगस्त, 2022 निस्तारित कर दिया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम बघवारा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5454/जी0-610/2012 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1093/जी0-धारा-6(1)/2018-19(III)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर के ग्राम अमौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2183/जी0-610(2)10/11 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1094/जी0-धारा-6(1)/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के ग्राम दादामऊ में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-706/जी0-610/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1095/जी0-201/2022-23/धारा-6(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5822/जी0-610/2012 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ–

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	मीरजापुर	लालगंज	–	1-चन्द्रगढ़ 2-मुडेल	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1096/जी0-163/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हरदोई, जनपद हरदोई के ग्राम टण्डौना में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1879/जी0-163/59 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1097/जी0-154ए/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पटियाली, जनपद कासगंज के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	कासगंज	पटियाली	—	1-दुलाई 2-म्यूनी	धारा-6 की उपधारा (1)

सं0-1098/जी0-173/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के ग्राम बिहंग में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2656/जी0-610/2012 दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1099/जी0-173/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के ग्राम मौहम्मदपुर आमद बागपत में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3845/जी0-610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1100/जी0-161ए/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कर्वी नवसृजित तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम बक्टा खुर्द बांगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5454/जी0-610/2012 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1101/जी0-173/2020-21/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3845/जी0-610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	गाजियाबाद	मोदीनगर	—	1- दौसा बंजारपुर 2- रेवड़ी-रेवड़ा 3-मानौली 4-मुकीमपुर	धारा-6 की उपधारा (1)

06 अप्रैल, 2023 ई0

सं0-1521/जी0-48ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91—58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1(5)/1991—टी0सी0आर0—1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम विजहर मैनुद्दीनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है।

प्रभु एन0 सिंह,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (संयुक्त संगठन), अमरोहा

शुद्धि-पत्र

19 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 85/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023—उत्तर प्रदेश राजकीय गज़ट दिनांक 25 मार्च, 2023 ई0 (चैत्र 04, 1945 शक संवत्) के संस्करण में भाग-1 क अंग्रेजी खण्ड में प्रकाशित FORM-18 (sub rule 2 of rule 20) Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector (under section (1) of section 11 of the Act) Notification में पृष्ठ संख्या 321 पर Plot Number 385, 384, 122, 125, 161, 162 एवं 378 के सम्मुख Village कॉलम में Khaiyya Mafi छपने से रह गया है। अतः उक्त प्लॉट नम्बर के कॉलम—4 में ग्राम का नाम Khaiyya Mafi पढ़ा जाये।

(ह0) अस्पष्ट,
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(संयुक्त संगठन), अमरोहा।

पी0एस0यू0पी0—9 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, कानपुर देहात

08 मई, 2023 ई0

सं0 2039/23-जि0पं0-उपविधि/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-143 के साथ पठित धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कानपुर देहात ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनायी हैं। उक्त उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें

(1) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषा से है।

(2) पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है जहाँ किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते हैं।

(3) पशु का तात्पर्य सभी जाति या श्रेणी के पशुओं से है।

(4) रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है जिसे लाइसेंस अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने के निमित्त नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं प्रदर्शनियों में उसके संचालक अथवा प्रबन्धक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

(5) दलाल का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया हो।

(6) ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुरूप नियत अवधि के लिये प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया गया हो।

उपविधि भाग-1

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो जिला पंचायत, कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिये बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा-पानी, सफाई तथा रोशनी आदि का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं करना होगा।

(3) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जाँच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

(4) एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

(5) जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

(6) नये पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(7) नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त कर लें। लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

(8) किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी के स्थल से 8 किलो मीटर के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा।

(9) नये वर्ष का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेंस शुल्क जमा कर नया लाइसेंस बनवा लिया जाये अन्यथा रु० 500.00 (पाँच सौ रुपया मात्र) प्रति माह अथवा उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेंस नवीनीकरण में भी यही विधि अपनायी जायेगी, परन्तु लाइसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में लाइसेंस संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाइसेंस शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

(10) जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही है, उनके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेंस बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या-9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेंस जारी किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेष अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

(11) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी होगा।

उपविधि भाग-2

(1) कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति से रु० 1000.00 (एक हजार रुपया मात्र) वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

(3) (अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम न होगा।

(ब) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह रु० 10.00 (दस रुपया मात्र) प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारी को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(4) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

(5) किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा जो किसी भी दशा में रु० 50.00 (पचास रुपया मात्र) से कम नहीं होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा।

(7) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबन्धक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं होता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबन्ध किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत के विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय व्यय काटकर शेष धनराशि निजी प्रबन्धक अथवा संचालक को वापस की जायेगी।

(8) जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म-54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

(10) पशु, मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) में निर्धारित पुलिस फार्म-54 पुस्तकें जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत् लागू होगी।

(11) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

(12) कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्त जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

(13) कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा।

(14) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाइसेंस शुल्क देय होगा।

क्र0 सं0	विवरण	रुपये (वार्षिक)
1	2	3
1	वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	10,000.00
2	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	15,000.00
3	वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	25,000.00
4	सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	6,000.00
5	सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	10,000.00
6	वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार चलने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क	5,000.00
7	वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क	10,000.00

उपविधि भाग-3

(1) जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाइसेंस दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे। कोई भी वयस्क एव स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा।

(2) रुपये 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेंस अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल का लाइसेंस दिया जायेगा।

(3) चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा।

क्र0 सं0	विवरण	रुपये
1	2	3
1	पशु के रुपये 100.00 तक मूल्य पर	20.00
2	पशु के रुपये 1,000.00 तक मूल्य पर	100.00
3	पशु के रुपये 1,000.00 से अधिक मूल्य पर	200.00

(4) जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी से 30 किलोमीटर के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेंस अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

उपविधि भाग-4

(1) जिला पंचायत, कानपुर देहात स्वयं द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान या उतरान के लिये अड्डों की व्यवस्था करेगी।

(2) निजी स्वामित्व में आने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशु के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही की जाएगी।

(3) यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डा बनाया जायेगा।

(4) जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं, किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना, ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

(5) अड्डों पर लगान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

क्रम सं0	वाहन की किस्म	शुल्क (रु०)
1	2	3
1	मेटाडोर या छोटी ट्राली	20.00
2	बड़ी ट्राली	40.00
3	छोटा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदें हों	250.00
4	बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदें हों	300.00
5	सामान भरा हुआ बैलगाड़ी या खड़खड़ा	20.00
6	खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	10.00
7	सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	50.00
8	सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	200.00

उपविधि भाग-5

(1) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रयोग निषिद्ध करने के लिये मेलों में आने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

(2) पशुओं की जांच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

(3) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

(4) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

(5) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगाः–

प्रवेश शुल्क

क्र0 सं0	विवरण	रुपये
1	2	3
1	गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया एवं घोड़े का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक हो	5.00 प्रति पशु
2	बकरा, बकरी, भेंड़	10.00 प्रति पशु
3	गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी	20.00 प्रति पशु
4	ऊँट एवं हाथी	50.00 प्रति पशु

(6) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा किः–

1–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रखे।

2–पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था कराये।

3–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था कराये।

4–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रूकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबन्ध कराये।

5–व्यापारियों को ठहरने के लिये भी समुचित प्रबन्ध कराये।

6–पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराये।

7–संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी0 का भी समुचित छिड़काव कराये।

8–जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामियों को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग-6

(1) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशानुसार किये जायेंगे।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आयी हुई दुकानों आदि की पैठ की दरें अन्य शर्तें तहबाजारी नियंत्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी।

(3) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर संचालित करने, वाहन अड्डों को संचालित करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली के कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेंगी जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। यह समिति तहबाजारी नियंत्रण उपविधि के नियम 5 (1) से (7) तक के उपनियमों का पालन भी इन ठेकों में कराएगी।

(4) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख-रेख में निश्चित किया जायेगा।

(5) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाइसेंस आवेदन प्रार्थना-पत्र के साथ में संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निर्धारित किया जायेगा। लाइसेंस अधिकारी की लिखित अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकता अनुसार स्थान व व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है।

(6) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी ही लाइसेंस प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल, क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए खसरा, खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कानपुर देहात यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपनियमों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु० 1000.00 (एक हजार रुपया मात्र) तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 50.00 (पचास रुपया मात्र) प्रतिदिन तक का अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

जिला पंचायत, कानपुर देहात

मानक उपविधि

8 मई, 2023 ई0

सं0 2040/23-जि0पं0-उपविधि/2023—जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रो की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजो मिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि प्रचलित हैं। जिसका प्रकाशन सरकारी गज़ट उ0प्र0 में दिनांक 18 अप्रैल, 2015 को हुआ है। पंचायती राज विभाग कें शासनादेश संख्या-623/33-2-2018-114 जी/2008 टीसी दिनांक 15 फरवरी, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि में मात्र खनिजों के उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये वसूली किये जाने हेतु प्रचालित उपविधि में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। जो कि सरकारी गज़ट उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

धारा-2 (9) प्रचलित उप नियम	धारा-2 (9) संशोधन
''स्थान'' का तात्पर्य उस स्थल से जो कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कानपुर देहात द्वारा नियत किया जायें।	स्थान का तात्पर्य उस स्थल से जो कि जिला पंचायत द्वारा केवल उदगम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क तहबाजारी की वसूली की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गो पर वसूली नहीं की जायेगी।

धारा-6		प्रस्तावित संशोधित दरें	
जिला पंचायत, कानपुर देहात द्वारा लिये जाने वाली शुल्क की दरें निम्न प्रकार की होगी—		जिला पंचायत, कानपुर देहात द्वारा लिये जाने वाली शुल्क की दरें निम्न प्रकार की होगी—	
1. पशुओं के द्वारा खीचे जाने वाली गाड़ी	रु0 10/—प्रति फेरी	1. पशुओं के द्वारा खीचे जाने वाली गाड़ी	50/—प्रति फेरी
2. मानव चलित नाव	रु0 20/—प्रति फेरी	2. मानव चलित नाव	रु0 100/—प्रति फेरी
3. ट्रैक्टर ट्राली	रु0 50/—प्रति फेरी	3. ट्रैक्टर ट्राली	रु0 150/—प्रति फेरी

4-ट्रक	**4-ट्रक**
(क) मिनि ट्रक (लाइट गुड्स वेहकिल्स) रु0 100/–प्रति फेरी	(क) मिनि ट्रक (लाइट गुड्स वेहकिल्स) रु0 200/–प्रति फेरी
(ख) ट्रक (लाइट गुड्स वेहकिल्स 06 चक्का) रु0 150/–प्रति फेरी	(ख) ट्रक (लाइट गुड्स वेहकिल्स 06 चक्का) रु0 300/–प्रति फेरी
(ग) भारी ट्रक (हेवी वेहकिल्स 10 चक्का) रु0 200/–प्रति फेरी	(ग) भारी ट्रक (हेवी वेहकिल्स 10 चक्का) रु0 400/–प्रति फेरी

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

जिला पंचायत, कानपुर देहात

मानक उपविधि

8 मई, 2023 ई0

सं0 2041/23-जि0पं0-उपविधि/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-33(2) के अन्तर्गत अनुसूची-2 के भाग खा (7) के साथ पठित अधिनियम की धारा 239 (1)(2)च (ढ़) एवं ज (क) तथा अधिनियम की धारा-221 एवं 224 के अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-1565/33-2-13-65 जी/13 दिनांक 31 जुलाई 2013 तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5570/(एक/बी)/2011 में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत नदियों/जल श्रोतों आदि में जले/अधजले एवं बिना जले हुए शवों का निस्तारण करने एवं खुली भूमि पर निस्तारित करने से जल स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की क्षति तथा जल प्रदूषण व शवों को निस्तारित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न् उपविधियॉ बनाती है। जोकि सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1–यह उपविधियॉ जिला पंचायत, कानपुर देहात के क्षेत्रान्तर्गत नदियों/जल श्रोतों में एवं अन्य स्थल पर जले/ अध जले एवं बिना जले शवों के निस्तारण एवं विनियमित करने की उपविधियॉ कहलायेंगी।

2–शव का तात्पर्य मानव एवं पशुशव से है।

3–जिला पंचायत का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा-17 में संगठित/पुर्नसंगठित जिला पंचायत से है।

4–जल श्रोतों का तात्पर्य नदी, नहर, नाला, गूल, तालाब व पोखर से है।

5–स्थल का तात्पर्य भू-जल से है।

6–''ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-2(10) के अनुसार होगा।

7–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात से है जो कि इन उपविधियों के लाइसेन्स अधिकारी कहलायेंगे।

8–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, कानपुर देहात से है।

9–ग्राम पंचायत अधिकारी का तात्पर्य गॉव/गॉवों में जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी या जिला विकास अधिकारी के नियंत्रण में तैनात ग्राम विकास अधिकारी से है।

10–सफाई कर्मचारी का तात्पर्य गॉव/गॉवों में जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में तैनात सफाई कर्मचारी से है।

11–स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्साधिकारी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय में तैनात चिकित्साधिकारी से है।

12–थाने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पुलिस थानों से है।

13–नदियों में परम्परागत रूप से शवों को बहाये जाने की प्रथा से एवं अनाधिकृत रूप से जले/अधजले लावारिस शवों को निस्तारण नदियों में किये जाने से उत्पन्न जलीय प्रदूषण की रोक-थाम हेतु नदियों में शवों का निस्तारण नहीं किया जायेगा, एवं नदियों में पाये जाने वाले इस प्रकार के शवों (मनुष्य/पशु) का समुचित रूप से निस्तारण कराया जाना अनिवार्य होगा।

14–किसी मानव की मृत्यु होने की दो दिन के भीतर उसका पंजीयन सम्बन्धित गॉव सभा की जन्म-मृत्यु पंजिका में कराया जाना अनिवार्य होगा।

15–मानव शव का निस्तारण परम्परागत शमशान या कब्रिस्तान में कराया जायेगा।

16–शमशान/कब्रिस्तान मे शव का निस्तारण इस प्रकार होगा, कि वह पूर्णतया या तो दफन हो जाये या राख में परिवर्तित हो जाये एवं उसका कोई भी भाग अवशेष न बचे।

17–ऐसी प्रत्येक अन्तेष्टि रीति को गॉव सभा में तैनात सफाई कर्मी के द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

18–यदि किसी शमशान/कब्रिस्तान में इस प्रकार की कार्यवाही का उल्लंघन होता है, तो ऐसे शमशान/कब्रिस्तान की जॉच निकटम स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य अधिकारी से कराये जाने पर यदि ऐसी जॉच आख्या प्राप्त होती है, कि ऐसे शमशान/कब्रिस्तान में शवों का निस्तारण उचित नीति से नहीं हो रहा है, तो ऐसे शमशान/कब्रिस्तान को जिला पंचायत नोटिस देकर बन्द कराने का आदेश दे सकती है।

19–यदि किसी नदी/जल श्रोत में कोई लावारिस लाश जिस किसी व्यक्ति को दिखाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी सूचना तत्काल उस थाने को देनी होगी जिस थाना क्षेत्रान्तर्गत उक्त नदी/जल श्रोत आता है एवं उसके उपरान्त ऐसी लाश की फोटोग्राफी आदि कराकर उसकी अन्तेष्टि करायी जायेगी। ऐसे लावारिस लाशों का विवरण सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भी रखा जायेगा। इसके निस्तारण की सूचना जनपद के पंचायत राज अधिकारी एवं जिला पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी।

20–प्रत्येक गॉव सभा अपने क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले नाविकों/गोताखोरों की सूची जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी। जिससे कि उनका पंजीकरण जिला पंचायत स्तर पर किया जा सके।

21–लावारिस पशुशव का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किसी जल राशि/जन श्रोत/प्रापर्टी लाइन से न्यूनतम 25 मीटर दूर लगभग 02 मीटर गहरे गड्ढे जो कि भू-जल स्तर से न्यूनतम 02 मीटर ऊपर हो, में पर्याप्त मिट्टी से ढककर किया जायेगा।

22–ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा नदियों/जल श्रोतों से परम्परागत रूप से निस्तारित किये जा रहे शवों तथा अधजले शवों के निस्तारण से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में नदियों के किनारे होने वाले प्रमुख समारोह/स्थानीय पर्वों/मेलों आदि तथा अन्य अवसरों पर जन सामान्य में जागरूकता हेतु प्रमुख घाटों पर होर्डिंग/बैनर स्थापित किये जायेंगे।

23–भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु एवं हाईजिनिक जीवन की सुविधा उपलब्ध हो। अतः यह व्यवस्था है कि किसी भी दशा में किसी भी नदी/जल श्रोत में लावारिस लाश या मानव अंग या पशुओं की लाश या उसके अंग न बहाये जायें। उक्त को प्रतिबन्धित करने के लिए उपविधि के नियमों में प्राविधानित व्यवस्था का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जाता है तो उपविधियों के अन्तर्गत उस पर ऐसे शवों के पूर्ण निस्तारण के लिए जो भी व्यय आयेगा वह उससे वसूला जायेगा। इसके अतिरिक्त साथ ही रुपये 1,000.00 (एक हजार रुपये) तात्कालिक अर्थ दण्ड से आरोपित किया जायेगा।

24–इन उपविधियो में लाइसेन्स अधिकारी के द्वारा निर्गत किसी आदेश की अपील, ऐसे आदेश के निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत को कर सकता है। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कानपुर देहात यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो रुपये 1,000.00 (एक हजार रूपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

जिला पंचायत, कानपुर देहात

मानक उपविधि

8 मई, 2023 ई0

सं0 2042/23-जि0पं0-उपविधि/2023—उ0प्र0 सरकारी गज़ट 18 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-2057/33-09-2013-14 के द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली दुकानों, फैक्ट्रियों, पक्के मकानों व अन्य सभी प्रकार के आवासीय/व्यावसायिक भवनों आदि के कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि प्रचलित है, उसके स्थान पर शासन के पत्र संख्या-2028/33-सेल-2013-14 दिनांक 20 मार्च, 2014 द्वारा प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के लिए व्यावसायिक भवनों, दुकानों के नक्शे पास करने सम्बन्धी मॉडल उपविधि उपलब्ध करायी गयी है, जो कि उ0प्र0 सरकारी गज़ट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रस्तावित उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत, कानपुर देहात ने ग्राम्य क्षेत्र जोकि उक्त अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है।

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गज़ट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई मे मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नही होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश के बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व मे आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पाकिंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(अ) अभियन्ता–अभियन्ता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों को स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेट-बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) में संघटित जिला पंचायत, कानपुर देहात से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, कानपुर देहात से है।

24–बहु-मंजिली भवन (Multy-Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग मे लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेंट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन मे स्थित हो सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों मे विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नही है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेगें।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, कानपुर देहात के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों मे परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अ–ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी। परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब–सफेदी व रंग-रोशन के लिए।

स–प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

द–पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

य–प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

र–मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना पत्र भू–अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र मे कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन मे परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कानपुर देहात को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा :–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारो तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गो का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल, खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

अ–प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

ब–नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

स–नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

द–भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

य–भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

र–स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

ल–नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

व–नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु-मंजिली भवन (Multy-Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा, लिफ्ट, अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण मे उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

अ–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग से भिन्न है।

ब–प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन से कम से कम एक सामान (Goods) /मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2016 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढाई जाएगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहुमंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम विद्युत् उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन मे 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नही होगा।

6–बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे।

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदो में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	(1) आवासीय भवन भू- खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(11) (1) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन				

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
	(1) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन, कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set-Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	120001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन मे अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दिवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमे दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों मे नही किया जाएगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों मे उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2016 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्वति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह्, फायर मैंन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

क–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख–जनरेटर केवल 'साइलैंट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

ग–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ–जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ङ–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

च–इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप मे एक लाख रुपये व अन्य जनपदों मे पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non- Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

ज–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे मे मोबाइल टावर की स्थापना नही की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क–आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों मे यह दर 50.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख–व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों मे यह दर 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग–(i) भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

(ii) भूमि विकास – भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित

करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपयोग – भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग (i) से (iv) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

ङ–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा मे अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

च–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

छ–यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें, मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

ज–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत, के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत, भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व मे निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 मे दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ–सूची (1) के अनुसार जनपदों मे पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

ञ–सूची (1) के अनुसार जनपदों मे बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर रु0 10 प्रति मीटर व अन्य जनपदों मे रु0 5.00 प्रति मीटर होगी।

नोट– (शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलो पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ढ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय मे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि मे यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदन को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदन को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात के संज्ञान मे लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन मे कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा मे या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत, कानपुर देहात को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकर्ण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे मे निर्माण की अनुमति नही दी जाएगी। 200 मीटर से 1.5 किमी0 के दायरे मे निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।

2–भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 मे शामिल नही होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकारी (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो, के 5 किमी0 की परिधि मे 30 मीटर से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि मे सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा मे सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान मे आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क–अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों मे संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख–पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जाएगा।

ग–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनमें लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(थ) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कानपुर देहात यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघंन करेगा, वह अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे मे यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जा`कि तीन माह तक हो सकेगा।

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर

जिला पंचायत, कानपुर देहात

मानक उपविधि

8 मई, 2023 ई0

सं0 2043/23-जि0पं0-उपविधि/2023–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या-33, 1961) की धारा-143 के साथ पठित धारा-239 (2) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना, सुर्खी भट्ठी आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि संख्या-916/23-5-2001-2002 प्रचलित है। जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकारी गजट, 03 मई, 2003 ई0 (भाग-3) में हुआ है। प्रचलित उपविधि की धारा-09,11,15 व 16 में संशोधन किया गया है। जो कि सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रचलित उपनियम	**संशोधित उपनियम**
उपविधि की धारा-09	
अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर जिला पंचायत, कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। जिसका मूल्य रु0 10.00 आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिए रु0 5.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा।	अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। जिसका मूल्य रु0 200.00 आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिए रु0 100.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा।

उपविधि की धारा-11	रुपये		रुपये
(1) चिमनी भट्ठा	7,000.00	1 (अ) फिक्स चिमनी भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
		1 (ब) फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
(2) बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क-पत्र	2,000.00	बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क-पत्र	3,000.00
(3) टाइल्स अनुज्ञा शुल्क-पत्र	2,000.00	इण्टरलाकिंग टाइल्स अनुज्ञा शुल्क-पत्र	5,000.00
(4) चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा शुल्क-पत्र	1,000.00	चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा शुल्क-पत्र	3,000.00
(5) कोयला भट्ठी	2,000.00	कोयला भट्ठी	4,000.00
(6) चूना या सुर्खी बैल	500.00	चूना या सुर्खी बैल	1,000.00

प्रचलित उपनियम उपविधि की धारा-09	संशोधित उपनियम
उपविधि की धारा-15	
ईंट भट्ठा, सुर्खी खपड़ा, टाइल्स मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करे तो उसके विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा के अधीन कार्यवाही जिला पंचायत, द्वारा की जायेगी।	ईंट भट्ठा, सुर्खी खपड़ा, टाइल्स मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करे तो उसके विरुद्ध धारा-133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
उपविधि की धारा-16	
01 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर रु0 300.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की प्रक्रिया की जायेगी।	लाइसेन्स की अवधि 30 सितम्बर समाप्त होने के पश्चात् 01 अक्टूबर से लाइसेन्स नवीनीकरण कराने पर रु0 500.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। लाइसेन्स नवीनीकरण न कराने पर ईंट भट्ठे मालिक/फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। आवेदन-पत्र के साथ पर्यावरण प्रमाण-पत्र व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रपत्रों के बिना ईंट भट्ठा संचालित पाये जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

डा० राज शेखर,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

जिला पंचायत, लखनऊ

21 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1180/21ए-04/2021-22—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं0 33) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1994) के अन्तर्गत संशोधित धारा-239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत लखनऊ ने अपने नियंत्रणाधीन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट-भट्ठा, भट्ठी, टाइल्स, खपरैल, चूना भट्ठी आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से नवीन उपविधि बनायी गयी है, जो सरकारी गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। इन उपविधियों के प्रकाशन से पूर्व में प्रचलित उपविधि विज्ञप्ति सं0 6991-92/21 ए-35(92-93) दिनांक 20 अगस्त, 1995 एवं संशोधित उपविधि सं0 464/21ए-35(92-93) दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

उपविधियाँ

1—कोई व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म जनपद-लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में ईट-भट्ठा, भट्ठी, टाइल्स, खपरैल, पजावा व सुर्खी आदि जिला पंचायत लखनऊ से अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस-पत्र प्राप्त किये बिना न बनाएगा न फूंकेगा।

2—इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा-पत्र निम्न शर्तों पर दिया जाएगा।

(i) कोई ईट-भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक ईमारत, धार्मिक स्थलों, प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, परिधि के भीतर अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण किया जाता है से 1 किलो मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नही किया जायेगा। कोई ईट-भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नही किया जाएगा।

(ii) कोई ईट-भट्ठा, राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनो किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नही किया जायेगा।

(iii) कोई ईट-भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनो किनारों से 100 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

(iv) कोई ईट-भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट-भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

(v) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बागीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट-भट्ठा से दूरियां उत्तर दक्षिण में 300 मीटर व पूरब पश्चिम में 1.5 किलोमीटर प्रत्येक दशा में कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट-भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा के ओर पड़ने वाली आम/फल्दार बगीचे के वृक्षों प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जाएगा।

3—अपर मुख्य अधिकारी लाईसेंस अधिकारी होगा। यह अधिकार विहित प्रक्रिया द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी सहित सक्षम अधिकारी को सौंपा जा सकता है।

4—इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर, तक होगी।

5—इन उपविधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन करने पर लाईसेंस अधिकारी को अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस निरस्त करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

6—लाईसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7—अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु0 500/- प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिए रु0 250/- प्रति आवेदन-पत्र होगा।

8—ईट-भट्ठा, भट्ठी, चूना, सुर्खी, पजावा आदि प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय जिला पंचायत लखनऊ को दिया जाएगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य अनवरत जारी रखना चाहते है तो पूर्व अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

9—भट्ठे स्वामी द्वारा भट्ठे की ईटों पर फर्म का ट्रेडमार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

10—मदवार शुल्क का विवरण—

मदवार का विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
चिमनी ईट-भट्ठा	रु0 8,000/- वार्षिक	रु0 20,000/- वार्षिक (20 पाये तक) रु0 25,000/- वार्षिक (20 पाये से अधिक)
बिना चिमनी ईट-भट्ठा	रु0 2,000/—	रु0 5,000/—
टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	रु0 5,000/—	रु0 10,000/—
चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाये या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	रु0 5,000/—	रु0 7,000/—
चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	रु0 2,000/—	रु0 5,000/—

11—कोई व्यक्ति, फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा राजस्व निरीक्षक के लाईसेंस मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

12—ईट-भट्ठा, भट्ठी, सुर्खी,पजावा मालिक यदि लाईसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

13—01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर रू0 5000/- का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरांत रू0 100/- प्रति दिन विलम्ब शुल्क देना होगा अथवा भट्ठे मालिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

14—कोई व्यक्ति जो ईट-भट्ठा का संचालन करना चाहता है, वह ईट-भट्ठे के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1000/— (रुपया एक हजार) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50/- (रुपया पचास) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

डा0 रोशन जैकब,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

जिला पंचायत, बांदा
वाटर पार्क, गेस्ट हाउस, लॉज एवं विवाह आदि
सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु बनायी गयी उपविधियां

20 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 789/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) (ज) (ट) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत, बांदा अपने ग्रमीण क्षेत्रों (नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया की सीमा को छोड़ कर) में पूर्व से स्थापित एवं इस उपविधि के लागू होने के बाद वाटर पार्क, गेस्ट हाउस, लॉज एवं विवाह आदि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थलों को विनियमित एवं नियंन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी है। यह उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

भाग-1

1—यह उपविधियाँ मण्डप, होटल, गेस्ट हाउस व लॉज तथा वाटर पार्क उपविधि कहलायेगी।

2—यह उपविधि जिला पंचायत बांदा के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम एवं टाउन एरिया की सीमाओं को छोड़कर लागू होगी।

3—यह उपविधि पूर्व से ही वर्तमान में कार्यरत व आगामी वर्षो में नया प्रतिष्ठान स्थापित होने पर लागू होगी।

4—यह उपविधियाँ राज्य सरकार के गज़ट में विज्ञप्ति तिथि से लागू होगी।

परिभाषायें—

1—(क) मण्डप का अर्थ उस व्यवसायिक स्थान से है जो विवाह आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर शुल्क लेकर व्यक्ति/संस्था एवं किसी अन्य को दिया जाता हो। यह मण्डप, बैंकटहाल, रेजिडेन्सी, गेस्ट हाउस, वाटिका, फार्म अथवा अन्य भी हो सकते हैं।

(ख) सेवा कर अधिनियम, (केन्द्र सरकार) 1994 यथा संशोधित सेक्शन-65(67) के अन्तर्गत चैप्टर-28 में परिभाषित के अनुसार।

2–होटल, गेस्ट हाउस, लॉज का अर्थ उस व्यवसायिक भवन से है जिसमें यात्रियों को या अन्य को ठहरने हेतु किराया लेकर रहने की सुविधा दी जाती है। इसमें दो प्रकार के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस हो सकते हैं।

(क) जिसमें केवल ठहरने की व्यवस्था हो

(ख) दूसरे प्रकार के वह है जिसमें ठहरने के साथ विवाह आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु किराये पर दिया जाता हो।

3– वाटर पार्क का अर्थ ऐसे परिसर तथा तत्सम्बन्धी उसकी सीमाओं की भूमि या उसके किसी भाग से है जहॉ जल क्रीड़ा, पिकनिक एवं तत्सम्बन्धी मनोरंजन व अन्य संसाधनों वाले व्यवसाय से है।

4– मण्डप, होटल, गेस्ट हाउस तथा वाटर पार्क का स्वामी, फर्म, संस्था एवं प्रतिष्ठान जिला पंचायत बांदा से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स लिये बिना उक्त का संचालन व व्यवसाय नहीं कर सकता। जिला बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त व्यवसायिक कार्य हेतु जिला पंचायत बांदा से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। अन्यथा उसके विरुद्ध जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उनके द्वारा अधिकृत जिला पंचायत बांदा का कोई अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होगा। लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु मालिक, संचालक, फर्म अथवा संस्था या जो भी अन्य हो अपर मुख्य अधिकारी को आवेदन के साथ आवश्यक प्रपत्र भी देने होगें–

(क) भूमि का साक्ष्य–फर्द, बैनामा, किरायेनामा।

(ख) मूल निवास–पत्र तहसील द्वारा निर्गत।

(ग) तीन पासपोर्ट साइज फोटो।

(घ) जिस व्यवसायिक कार्य हेतु लाइसेन्स का आवेदन किया जा रहा है, उसका पूर्ण नक्शा अधिकृत नक्शा नवीस द्वारा हस्ताक्षरित।

6–**लाइसेन्स शुल्क निम्नवत् है–**

मण्डप, बैंकटहाल, रेजीडेन्सी, गेस्ट हाउस, फर्म व वाटिका (प्रति)

1– 5,00,000.00 रूपया वार्षिक आय तक–5,000.00 रूपया प्रतिवर्ष ।

2– 5,00,000.00 रूपया से 10,00,000.00 रू0 वार्षिक आय तक 10,000.00 रू0 प्रतिवर्ष।

3– 10,00,000.00 रूपये से अधिक वार्षिक आय पर 15,000.00 रूपये प्रतिवर्ष।

4– गेस्ट हाउस होटल, यात्री निवास हेतु 3,000.00 रूपया वार्षिक।

5– वाटर पार्क–2,000.00 रूपया वार्षिक।

7– नवीनीकरण शुल्क इस उपविधि की धारा-पांच में वर्णित शुल्क ही होगी। 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का यह वार्षिक शुल्क है। नवीनीकरण 31 मार्च से पूर्व कराना आवश्यक है। 01 अप्रैल से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। विलम्ब शुल्क 250.00 रूपया प्रतिमाह होगा।

भाग–2

8– वाटर पार्क संचालित करने वाले स्वामी, साझीदारी, संस्था, प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक है कि वाटर पार्क में प्रयोग होने वाले जल क्रीड़ा हेतु जलाशय को प्रदूषण रहित रखे। वाटर पार्क के जल प्रदूषण हेतु संयंत्र वाटर पार्क में उचित स्थान पर लगायें जो जल प्रदूषण बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए।

9– खेल विभाग द्वारा तैराकी प्रशिक्षक एवं जीवन रक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पार्क की स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन अवश्य करना होगा।

10– श्रम विभाग के नियमानुसार 14 वर्ष के कम व्यक्ति को काम पर नहीं लगाया जा सकता। इन स्थानों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषेध होगा। यदि आग्नेयास्त्रों का प्रयोग होता है, देखे जाने पर अथवा शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर पुलिस में कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट करने के साथ माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11– पार्क में स्वालपाहार, भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कैन्टीन की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार होनी चाहिए। पार्क के बाहर वाहन पार्किंग हेतु समुचित स्थान होना आवश्यक है।

12– मण्डप विवाह आदि कार्य हेतु व्यवसायिक भवन, गार्डन, लॉज तथा अन्य को संचालित करने वाले स्वामी, फर्म संस्था व प्रतिष्ठान के लिये आवश्यक होगा की वह पेयजल हेतु स्वच्छ एवं दोष रहित रखने हेतु जल प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन करें। उक्त स्थान में ध्वनि प्रदूषण के मानक के अनुसार ही गीत-संगीत की व्यवस्था करें और रात्रि दस बजे के बाद कोई भी डी0जे0 आदि शोर करने वाला संगीत न चलाया जाये।

13– मण्डप, होटल, लॉज, मैरिज हाल, में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें बुकिंग का विवरण पूरा होना चाहिए। रजिस्टर के विवरण में बुकिंग कराने वाले का नाम, पता, किस प्रयोजन के लिए किराये पर लिया जा रहा है। तथा कितने समय के लिये, कितने रूपये में तय हुआ तथा क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी।

14– वाटर पार्क में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमे प्रवेश करने वाले का नाम, पता, दी जाने वाले कूपन/रसीद/प्रवेश शुल्क का नम्बर दर्ज होना आवश्यक है साथ ही प्रवेश करने वाले व्यक्ति, समूह का प्रवेश समय व निकलकर जाने का समय भी लिखना आवश्यक है।

15– इसी प्रकार एक रजिस्टर होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में रखा जायेगा जिसमें यात्री का पूर्ण विवरण कहॉ से आया तथा कहॉ जायेगा। साथ ही इसके होटल में आने और जाने का समय तिथि सहित अंकित की जायेगी। ठहरने वाले व्यक्ति का परिचय-पत्र साक्ष्य, वोटर आइ0डी0, आयकर पैन-कार्ड, अथवा ड्राइविंग-लाइसेंन्स देखना परम आवश्यक है।

16– इस उपविधियों की किसी भी धारा का उल्लंधन करने पर लाइसेंन्स निरस्त अथवा निलम्बित कर दिया जायेगा और संचालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही माननीय न्यायालय में की जायेगी। लाइसेन्स निरस्त अथवा निलम्बन करने पर पन्द्रह दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत, बांदा को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

17– इस उपविधि में वर्णित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय कर निरीक्षक निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे। इन्हें निरीक्षण करने के लिये संचालकों को सहयोग करना होगा। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षणकर्ता को दी जायेगी, जिसमें कोई भी उल्लेख कमी को संचालक सात दिन के अन्दर ठीक कर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बांदा को रिपोर्ट देगा। कमी को ठीक न करने की दशा में संचालक के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बांदा यह निर्देश देती है जो व्यक्ति,फर्म संस्था प्रतिष्ठान इन उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा उसे 2,000.00 रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है और पुनः उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। अंकन 50 रूपया प्रतिदिन तक हो सकेगा। अर्थदण्ड भुगतान न करने की स्थिति में अपराधी को तीन माह तक का कारावास दण्ड होगा।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

जिला पंचायत, बांदा
मोबाइल टावर स्थापना नियंत्रण सम्बन्धी उपविधि

20 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 790/21–एल0बी0ए0/उपविधि–प्रकाशन–उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग–2 के शा0 संख्या 3/16/600/33–2–2016 जी0/2016 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बांदा में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न दूर संचार एवं अन्य उद्देश्यों के लिए स्थापित टावरों आदि के निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उप नियम बनाये हैं। यह उपविधियाँ प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियां

1–संक्षिप्त नाम–

(1) यह उपविधि जिला पंचायत, बांदा उपविधि कही जायेगी।

(2) यह जिला पंचायत, बांदा की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(2) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 से है,

(3) "टावर" से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल फोन, या अन्य फोन या अन्य संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहककर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(4) "सेवा प्रदाता" से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(5) "भवन" के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य किसी से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे, मकानों की कुर्सियाँ, दरवाजे की सीढियां दीवारे तथा हाते की दीवारे और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।

(6) "भूमि" के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण हो चुका हो अथवा पानी से ढकी हो, भूमि में उत्पादन होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बांधी हुई वस्तुएं और भी अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हों।

(7) "जिला पंचायत" से तात्पर्य जिला पंचायत, बांदा से है।

(8) जिला पंचायत, बांदा की सीमा से तात्पर्य (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्र से है।

(9) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हो।

3–प्रतिशेध–

(1) अपर मुख्य अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिला पंचायत, की सीमा के भीतर किसी भूमि, या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी तरह की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्राज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अपर मुख्य अधिकारी की लिखित एवं पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि और भवन के किसी भाग पर कोई टावर न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उसके अध्यवासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अ़थवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रू0 100 (एक सौ) भुगतान करके जिला पंचायत बांदा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन–पत्र के मूल्य की रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिस्थापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन–पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना एवं अभियंता, जिला पंचायत से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन–पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर ऐन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टयां अंकित की जायेंगी।

(8)एक ही टावर का उपयोग एक से अधिक फर्म, कम्पनी ,सेवा प्रदाता, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता आदि करती है तो प्रत्येक को अलग–अलग लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।

(9) ऊंचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–

किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(1) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन जमा किया गया हो।

(2) टावर को समुचित स्थितियों एवं दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(4) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(5) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों /भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(6) लोकहित में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें।

(7) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(8) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठिापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(9) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्र में लगाने से बचा जाये किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहॉ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(10) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मीटर से कम न हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किए जायेंगे।

(11) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रान्समिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(12) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे– कंटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के टावर तक पहुॅचने की अनुमति दी जायेगी।

(13) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

(14) प्रत्येक सेवा/अवस्थापन प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(15) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृष्टयता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहॉ टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(16) जहॉ इससे ग्रामीण सुविधायें प्रभावित हों वहॉ अनुमति देय नहीं होगी।

(17) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

(18) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति या उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(19) टावर पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(20) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–सम्पत्ति कर का आरोपण –

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्रविधानों के आधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

7–अनुज्ञा की अवधि एवं नवीनीकरण –

अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये होगी।

8–टावर को हटाने की शक्ति–

यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो, तो अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है–

(1) टावर हटाये जाने का व्यय।

(2) ऐसी अवधि के दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था, खडा किया गया था, गाड़ा गया था, के लिए हुई क्षति की धनराशि।

9–टावर पर निर्बन्धन–

किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी–

(1) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(2) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं अन्य मार्गों की भूमि सीमा के भीतर ।

(3) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(4) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(5) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(6) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

10–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–

जिला पंचायत, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

11–अनुरक्षण–

(1) सभी टावर जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बांधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो ढांचागत और कलात्मक दोनों की दृष्टिकोण से होगीं और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं हैं तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से अच्छादित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

12–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

13–शुल्क निर्धारण एवं भुगतान की रीति–

(1) इस निमित्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण जिला पंचायत, बांदा द्वारा किया जायेगा जो जिला पंचायत सीमान्तर्गत (नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका/नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) न्यूनतम रू0 10,000.00 प्रति टावर, प्रति एन्टीना प्रति वर्ष होगी। एक से अधिक एन्टीना में लाइसेंस शुल्क की दर रू0 3000.00 प्रति टावर, प्रति एन्टीना प्रति वर्ष होगी। एक से अधिक एन्टीना में लाइसेंस शुल्क की दर रू0 3,000.00 प्रति एन्टीना अलग से होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में देय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में बाहर कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत द्वारा जन सुविधायें या सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 की धारा 240 के आधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता,

अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रू0 2,000 तक का होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी हो रहा तो वह अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध करता रहा तो उससे रू0 50 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड लिया जा सकेगा। अर्थदण्ड न जमा करने की दशा में तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा
उपविधि संशोधन

04 मई, 2023 ई0

सं0 855/21 एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, अधिनियम–1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ठेकेदारी कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) दी गई शक्ति का प्रयोग कर की गई है। तत्क्रम में निर्मित उपविधि, जो कि उत्तर प्रदेश गजट, 26 अप्रैल 2014 ई0 (वैशाख 6, 1936 शक संवत) में प्रकाशित, प्रकाशन की तिथि से जनपद, बांदा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी है। जिला पंचायत, बांदा की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के अन्य प्रस्ताव संख्या 02 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित उपविधि में निम्नवत संशोधन करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

क्र0 सं0	वर्तमान स्वीकृत उपविधि में प्राविधान	प्रस्तावित संशोधित उपविधि में प्राविधान
1	2	3
1	11–जिला पंचायत, बांदा में पंजीकृत ठेकेदारों को उपविधि के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कराकर श्रेणीबद्ध पंजीकृत किया जायेगा।	11–विलोपित
2	12–वर्णित उपविधि के अन्तर्गत जिला पंचायत, बांदा द्वारा ठेकेदारों को निम्नवत श्रेणी में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकृत किया जायेगा। (अ) 10 लाख से अधिक का ठेका कार्य लेने वाले व्यक्ति/संस्था, कम्पनी 'ए' श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लाइसेंस शुल्क मु0 रू0 10000.00 प्रतिवर्ष होगी। (आ) 5 लाख से 10 लाख रू0 तक की राशि के ठेका कार्य लेने वाले व्यक्ति/संस्था कम्पनी 'बी' श्रेणी के ठेकेदार होंगे, और उनके लिये लाइसेंस शुल्क मु0 रू0 3000.00 प्रति वर्ष होगा। (इ) 2 लाख से 05 लाख रू0 तक की राशि के ठेका कार्य लेने वाले व्यक्ति/संस्था कम्पनी 'सी' श्रेणी के ठेकेदार होंगे, और उनके लिये लाइसेंस शुल्क मु0 रू0 1500.00 प्रति वर्ष होगा। (ई) 2 लाख रू0 की सीमा के अनतर्गत ठेका/कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था कम्पनी 'डी' श्रेणी के ठेकेदार होंगे, और उनके लिये लाइसेंस शुल्क मु0 रू0 1000.00 प्रति वर्ष होगा।	12–जिला पंचायत, बांदा द्वारा ठेकेदारी कार्य करने वाले ठेकेदारों को वार्षिक ठेकेदारी लाइसेंस शुल्क मु0 रू0 10000.00 जमा कर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1	2	3
3	13–जिला पंचायत, बांदा द्वारा जिस विभाग/संस्था को ठेकेदारी कार्य के लिये जो लाइसेंस निर्गत किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा उक्त लाइसेंस का प्रयोग केवल विभाग के अन्तर्गत नियत श्रेणी के अनुसार निर्धारित सीमा तक के कार्यो में उपयोग कर सकेगा, यदि नियत श्रेणी से अधिक राशि का ठेका लेना चाहता है तो उसे श्रेणी में परिवर्तन हेतु समयबद्ध विभाग की संस्तुति सहित अपने आवेदन में चाही गई श्रेणी का निर्धारित शुल्क अदा करने पर नया लाइसेंस निर्गत किया जायेगा, ऐसी दशा में पूर्व में नीचे श्रेणी का लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा।	13–विलोपित

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

पी0एस0यू0पी0–9 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 मई, 2023 ई० (ज्येष्ठ 06, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्जुन कुमार निषाद है जो जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। परन्तु आधार कार्ड सं0 948234304474 में त्रुटिवश अनिकेश निषाद घर का नाम अंकित हो गया है। अनिकेश निषाद व अर्जुन कुमार निषाद उपर्युक्त दोनों नाम मेरे पुत्र का है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को अर्जुन कुमार निषाद के नाम से जाना व पहचाना एवं लिखा पढ़ा जाये। नीरज कुमार निषाद पुत्र श्री रमेश कुमार निषाद, निवासी 148/12 करेलाबाग, जी0टी0बी0 नगर, प्रयागराज।

नीरज कुमार निषाद,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 शारदा एसोसियेटस, 610, नरसीकुंज, डेम्पियर नगर, जिला मथुरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री प्रमिल कुमार गर्ग पुत्र स्व0 कुंजीलाल गर्ग, श्री शशांक गर्ग पुत्र श्री प्रमिल कुमार गर्ग, श्रीमती मंजू रानी गर्ग पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग और श्रीमती सविता गर्ग पत्नी श्री प्रमिल कुमार गर्ग निवासीगण 610, नरसीकुंज, डेम्पियर नगर, मथुरा साझेदार है। जिसमें से श्रीमती मंजू रानी गर्ग की दिनांक 07.10.2020 को मृत्यु हो गई है। श्री अनिल कुमार गर्ग पुत्र स्व0 कुंजीलाल गर्ग, निवासी 610, नरसीकुंज, डेम्पियर नगर, मथुरा दिनांक 01.11.2020 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये है। वर्तमान में श्री प्रमिल कुमार गर्ग, श्री शशांक गर्ग, श्रीमती सविता गर्ग और श्री अनिल कुमार गर्ग साझेदार है।

प्रमिल कुमार गर्ग

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अरोरा आर0सी0सी0 वर्क्स, बी-330 (ए), राजेन्द्र नगर, बरेली, उ0प्र0 पिनकोड–243122 (पंजीकरण संख्या B-13693) फर्म में 5 साझेदार श्रीमती सरोज अरोरा, अशोक कुमार अरोरा, चुन्नी लाल अरोरा, रंजीव सिंह, रजत अरोरा थे दिनांक 03.10.2021 को फर्म में एक नया साझेदार श्रीमती कुसुम अरोरा को शामिल किया, फर्म के एक साझेदार अशोक कुमार अरोरा की मृत्यु होने के कारण उनकी साझेदारी दिनांक 03.10.2021 को समाप्त हो गई। मृतक साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है,

साझेदार या फर्म का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 5 साझेदार रंजीव सिंह, रजत अरोरा, श्रीमती कुसुम अरोरा, चुन्नी लाल अरोरा, श्रीमती सरोज अरोरा हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेंरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

रजत अरोरा,
साझेदार,
मेसर्स अरोरा आर0सी0सी0 वर्क्स,
बरेली (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एसएए बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, विला नं0 190, ग्रीन हाईट्स कालोनी, ए टू जेड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रुड़की रोड, मेरठ–250110 की साझीदारी में श्री अर्पित कुमार, श्री अनिल कुमार, संगीता बालयान एवं अवन्तिका बालयान साझीदार थे। दिनांक 24.03.2023 को श्री अंकित राणा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी, श्री कुशल कुमार, श्रीमती मीनू तोमर, श्रीमती सुशीला सिंह एवं श्रीमती शैली फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये है तथा अवन्तिका बालयान फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुई है। संशोधित साझीदारी दिनांक 24.03.2023 के अनुसार श्री अर्पित कुमार, श्री अनिल कुमार, संगीता बालयान, श्री अंकित राणा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी, श्री कुशल कुमार, श्रीमती मीनू तोमर, श्रीमती सुशीला सिंह एवं श्रीमती शैली साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अर्पित कुमार,
साझीदार,
मेसर्स एसएए बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स,
विला नं0 190, ग्रीन हाईट्स कालोनी,
ए/टू जेड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रुड़की रोड,
मेरठ–250110

सूचना

फर्म मेसर्स मधुबन गार्डन थाने के सामने, सिकन्दराराऊ रोड, हाथरस जंक्शन, हाथरस पत्रावली संख्या एजी-11451 में दिनांक 25.02.2016 को श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री तारा सिंह, निवासी निकट बी0डी0ओ0 कोठी बगीची रोड देवी नगर, हाथरस जंक्शन, हाथरस अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये तद्दिनांक को अमित पचौरी पुत्र श्री संजीव कुमार पचौरी, निवासी देवीनगर हाथरस जंक्शन, हाथरस फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार श्रीमती सारिका शर्मा एवं अमित पचौरी है तथा श्री चन्द्रपाल सिंह जी का निधन दिनांक 23.02.2022 को हो चुका है।

श्रीमती सारिका शर्मा,
साझेदार,
मेसर्स मधुवन गार्डन,
थाने के सामने, सिकन्दराराऊ रोड,
हाथरस जंक्शन, हाथरस।

सूचना

फर्म मेसर्स पी0 आर0 सीलिंग प्रोडेक्ट्स खसरा नं0 612-ए अरतौनी अपोजिट ओल्ड उषा फैक्ट्री, आगरा पत्रावली संख्या एजीआर–0003530 में दिनांक 01.04.2023 को श्रीमती कविता गुप्ता पत्नी श्री रवि गुप्ता, निवासी 13/64 काछीपाड़ा नाई की मण्डी, आगरा अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुई तद्दिनांक को विकास गुप्ता पुत्र स्व0 रामचरन गुप्ता, निवासी 20/210 सिर की मण्डी लोहामण्डी, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मलित हुये तथा फर्म का पता परिवर्तन कर खसरा नं0 612-ए अरतौनी अपोजिट ओल्ड उषा फैक्ट्री, आगरा कर लिया गया वर्तमान फर्म में साझेदार श्रीमती पूनम गुप्ता, विकास गुप्ता है।

श्रीमती पूनम गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स पी0 आर0 सीलिंग प्रोडेक्ट्स,
खसरा नं0 612-ए अरतौनी अपोजिट,
ओल्ड उषा फैक्ट्री, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म आशीष एंटरप्राइजेज स्टेशन रोड पारीक्षा 284305 उ0प्र0 में स्थित है और उक्त फर्म का पंजीकरण सं0 जे 4511 है। उक्त फर्म से पार्टनर आशीष सिंह पुत्र कैलाश सिंह अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है और अब इस फर्म में प्रमोद कुमार सिंह पुत्र रमेश्वर सिंह और रमाशंकर सिंह पुत्र शिवचरण सिंह साझेदार है।

रमाशंकर सिंह,
साझेदार,
फर्म आशीष एंटरप्राइजेज,
स्टेशन रोड पारीक्षा झांसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स के0 एल0 एसोसियेट्स एफ–5, शारदा काम्पलेक्स,

गली पातीराम, मथुरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल पत्नी श्री कुंजी लाल, श्री अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री कुंजी लाल, श्रीमती नम्रता अग्रवाल पत्नी श्री अभिषेक गर्ग, श्रीमती मंजूरानी गर्ग पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री शशांक गर्ग और श्री शशांक गर्ग पुत्र श्री प्रमिल कुमार गर्ग निवासीगण-डेम्पियर नगर, मथुरा साझेदार है। जिसमें से श्रीमती नम्रता अग्रवाल दिनांक 01.09.2017 को उक्त फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो गई है और श्रीमती सविता गर्ग पत्नी श्री प्रमिल कुमार गर्ग, निवासी डेम्पियर नगर, मथुरा उक्त फर्म में दिनांक 01.09.2017 से सम्मिलित हो गई है। श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 11.08.2020 और श्रीमती मंजू रानी गर्ग की मृत्यु दिनांक 07.10.2020 को हो गई हैं। श्री प्रमिल कुमार गर्ग और श्री अभिषेक गर्ग, दिनांक 01.11.2020 से उक्त फर्म में सम्मिलित हो गये है वर्तमान में श्री प्रमिल कुमार गर्ग, श्री अनिल कुमार गर्ग, श्रीमती मोनिका अग्रवाल, श्री शशांक गर्ग, श्रीमती सविता गर्ग और श्री अभिषेक गर्ग साझेदार है।

श्री प्रमिल कुमार गर्ग।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम विपुल मजीद था जिसे बदलकर मैंने अपना नाम मार्क ईसाक रख लिया है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, इत्यादि में अंकित है। भविष्य में मुझे मार्क ईसाक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मार्क ईसाक,
पुत्र एस0 डी0 मजीद,
निवासी–जी0 43, 1/124/ए सत्यम अपार्टमेन्ट,
दयानन्द मार्ग, नियर जागृति हास्पिटल,
इलाहाबाद,
उ0प्र0–211001

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मामराज राधे श्याम पो0 आनन्द नगर, जिला महराजगंज, उ0प्र0 में साझेदारी डीड दिनांक 01.11.2019 से श्री कमाल पति अग्रवाल एवं श्री रुपेश खेतान जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण संख्या MAH/0005229 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म का समापन विघटन डीड दिनांक 14.05.2023 से किया जा रहा है। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

श्री कमला पति अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स मामराज राधे श्याम पो0 आनन्द नगर,
जिला–महराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि फर्म मेसर्स वी0 के0 इन्टरप्राईजेज, अपोजिट मोदीपोन, हापुड़ रोड, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद–201204 की साझीदारी में श्री राज कुमार ढ़िंगरा, श्री रोशन लाल ढ़िंगरा, श्री सुशान्त कुमार ढ़िंगरा, एवं श्री प्रशान्त कुमार ढिंगरा साझीदार थे। दिनांक 01.04.2023 को श्री रोशन लाल ढ़िंगरा, फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुये है। संशोधित साझीदारी दिनांक 01.04.2023 के अनुसार श्री राज कुमार ढ़िंगरा, श्री सुशान्त कुमार ढ़िगरा एवं श्री प्रशान्त कुमार ढ़िगरा साझेदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्री राज कुमार ढ़िंगरा,
साझेदार,
मेसर्स वी0 के0 इन्टरप्राईजेज,
अपोजिट मोदीपोन, हापुड़ रोड,
मोदीनगर, जिला गाजियाबाद–201204

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स न्यू लोधी कोल्ड स्टोरेज पता राम नगर रोड़, ऑवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश–243301 जिसकी पंजीकरण संख्या BAR/0004784 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 09.08.2019 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार सुनील कुमार पुत्र श्री राम दास वर्मा का दिनांक 11.02.2022 को व साझेदार रामदास वर्मा पुत्र रघुनाथ सिंह का दिनांक 08.04.2022 को स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके स्थान पर एक नया साझेदार नीरू वर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी 254, काधरपुर, बरेली, उ0प्र0–243301 दिनांक 08 मई, 2023 को स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म में सम्मिलित हो रही है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार क्रमशः श्री अनिल कुमार, श्रीमती लीला वती, श्रीमती नीरू वर्मा, निवासीगण 254, कांधरपुर, बरेली, उ0प्र0–243301 साझेदार है।

अनिल कुमार,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम विपिन कुमार यादव पुत्र तुलसीराम यादव तथा कुछ अभिलेखों में विपिन पुत्र तुलसीराम यादव अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही है भविष्य में मुझे विपिन कुमार यादव पुत्र तुलसी राम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

विपिन कुमार यादव,
पुत्र तुलसीराम यादव,
पता–खेमाजीतपुर, मोतीगरपुर,
सुल्तानपुर (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए0 डी0 एस0 इन्टरटेन्मेन्ट, पता म0 नं0 18 श्याम नगर, कृष्णा पार्क, बदायूं–243601, जिसकी पंजीकरण सं0–बी0–14763 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 05.06.2017 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, फर्म में दिनांक 01 सितम्बर, 2019 को नये साझेदार के रूप में चार साझेदार प्रनय अनेजा पुत्र श्री हरीश अनेजा, रिषभ अनेजा पुत्र श्री हरीश अनेजा, रजनी अनेजा पत्नी श्री हरीश अनेजा, हिना अनेजा पुत्री श्री हरीश अनेजा, निवासीगण निवासी बी–34, स्वामी नगर, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली–110017 स्वेच्छा से सम्मिलित हुये हैं, तथा उक्त फर्म में साझेदार श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासिनी म0 नं0 18 श्याम नगर, कृष्णा पार्क, बदायूँ का निधन दिनांक 06.05.2021 को हो चुका है तथा उनकी जगह उनके पति अशोक कुमार पुत्र श्री गोपी नाथ, निवासी म0 नं0 18 श्याम नगर, कृष्णा पार्क, बदायूँ उपरोक्त फर्म में दिनांक 06.05.2021 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं, उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल सात साझेदार क्रमशरः 1–श्री अशोक कुमार, 2–श्री सचिन गुप्ता, 3–श्री दीपक गुप्ता, 4–श्री प्रनय अनेजा, 5–श्री रिषभ अनेजा, 6–श्रीमती रजनी अनेजा, 7–सुश्री हिना अनेजा हैं।

सचिन गुप्ता,
साझेदार,
ए0 डी0 एस0 इन्टरटेन्मेन्ट,
पता म0 नं0 18 श्याम नगर, कृष्णा पार्क,
बदायूं–243601,
जिसकी पंजीकरण सं0–बी0–1476 ।

सूचना

फर्म मेसर्स रोहिणी कन्स्ट्रक्शन्स 67, डिफैन्स एस्टेट फेस–1, ग्वालियर रोड, आगरा पत्रावली संख्या एजी–11704 में दिनांक 01.04.2018 को अक्षय बंसल पुत्र श्री मनोज कुमार बंसल, निवासी–8 न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये तद्दिनांक को प्रियांक वासवानी पुत्र श्री जीवतराम वासवानी, निवासी–फ्लैट नं0 301 मारूती रेजीडेन्सी बोदला, शाहगंज रोड, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये तथा फर्म का पता परिवर्तन कर 67 डिफैन्स एस्टेट फेस–1 गवालियर रोड, आगरा कर दिया गया है वर्तमान फर्म में भागीदार सुदेश कुमार अग्रवाल एच0यू0एफ0 एवं प्रियांक वासवानी हैं।

सुदेश कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स रोहिणी कन्स्ट्रक्शन्स 67,
डिफैन्स एस्टेट फेस–1, ग्वालियर रोड, आगरा।

सूचना

फर्म मेसर्स अर्चना कन्स्ट्रक्शन्स एच0आई0जी0 अवंतिका–1 रामघाट रोड, अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी–10957 में दिनांक 18.11.2022 को अजय पाल सिंह जी का निधन होने के उपरान्त पुर्नगठित साझीदारीनामा विलेख दिनांक 19.11.2022 के अनुसार वर्तमान में साझीदार श्री संजय यादव एवं श्रीमती अर्चना यादव हैं।

संजय यादव,
साझेदार,
मेसर्स अर्चना कन्स्ट्रक्शन्स,
एच0आई0जी0 अवंतिका–1 रामघाट रोड, अलीगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुछ अंक-पत्रों में अखिलेश गर्ग पुत्र वीरेन्द्र कुमार गर्ग तथा कुछ अंक पत्रों में अखिलेख कुमार गर्ग पुत्र वीरेन्द्र कुमार गर्ग अंकित है ये दोनो नाम मेरे हैं तथा भविष्य में मुझे अखिलेश कुमार गर्ग पुत्र वीरेन्द्र कुमार गर्ग के नाम से जाना जाये। अखिलेश कुमार गर्ग पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार गर्ग जे0पी0 सीमेन्ट ब्लेडिंग यूनिट, ग्राम सड़वाखुर्द जसरा प्रयागराज।

अखिलेश कुमार गर्ग।

सूचना

फर्म मेसर्स ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन्स मेघदूत होटल के पास पचौरी कम्पाउण्ड, कचहरी रोड, मैनपुरी पत्रावली संख्या एजी–5894 में दिनांक 01.04.2023 को श्री सूरज सिंह पुत्र श्री भोजराज सिंह निवासी राजा का बाग मैनपुरी, श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री बंगाली सिंह, निवासी पचौरी कम्पाउण्ड मैनपुरी, श्री कौशल किशोर पुत्र

श्री बृजेन्द्र सिंह, निवासी–पचौरी कम्पाउड मैनपुरी एवं यादवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री सुदामा सिंह निवासी 3/91 आवास विकास मैनपुरी फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये वर्तमान फर्म में भागीदार श्रीमती वन्दना यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री सन्दीप कुमार हैं।

श्रीमती वन्दना यादव,
साझेदार,
मेसर्स ऋषिराज कन्स्ट्रक्शन्स,
मेघदूत होटल के पास पचौरी कम्पाउण्ड,
कचहरी रोड, मैनपुरी।

सूचना

फर्म मेसर्स राजस्थान मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स इन्द्र प्रस्थ एस्टेट कृष्णा पुरम अपो0 के0 के0 हास्पीटल, रामघाट रोड, अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी–15685 में दिनांक 31.07.2022 को ऋतु अग्रवाल पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग, निवासी–फ्लैट नं0 बी0–5 तृतीय तल पार्क व्यू रेजीडेन्सी जापान हाउस लक्ष्मी बाई मार्ग अलीगढ़ एवं श्रीमती सलोनी अग्रवाल पुत्री संजय कुमार बंसल निवासी–फ्लैट नं0 बी0–5 तृतीय तल पार्क व्यू रेजीडेन्सी जापान हाउस लक्ष्मी बाई मार्ग अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये तद्दिनांक को वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामधारी अग्रवाल , निवासी–डी–2, पंचम तल वैष्णों एस्टेट समद रोड, अलीगढ़ फर्म की भागीदारी में सम्मलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार विजय कुमार अग्रवाल, वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल हैं।

विजय कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स राजस्थान मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स,
इन्द्र प्रस्थ एस्टेट कृष्णा पुरम अपो0 के0 के0 हास्पीटल,
रामघाट रोड, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स New Parmar Granite, Vill. Baghwa, Kabrai, District Mahoba, U.P. 210424 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. Vijay Raj Singh, 2. Abhishek Singh, 3. Kishori Anuragi.

जिसमें दिनांक 20.06.2020 को Kishori Anuragi अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये एवं उनके स्थान पर Hira Singh, Ravindra Pratap Singh, Avinash Kumar Singh शामिल हो गये हैं।

उसके पश्चात् दिनांक 18.04.2023 को Vijay Raj Singh, Abhishek Singh, Hira Singh, Ravindra Pratap Singh अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये एवं उनके स्थान पर Rajesh Singh, Shivani Singh, Uma Singh, Vikram Singh शामिल हो रहे हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Avinash Kumar Singh,
साझेदार मेसर्स New Parmar Granite,
Vill. Baghwa, Kabrai, District-Mahoba,
U.P. 210424.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम श्वेत राय है जो उसके समस्त प्रमाण–पत्रों में अंकित है मैंने अपने पुत्र का नाम श्वेत राय के स्थान पर ऐश्वर्य आनन्द रख लिया है अतएव आज से उसे ऐश्वर्य आनन्द के नाम से जाना जाय और तद्नुसार उसके समस्त प्रमाण–पत्रों में ऐश्वर्य आनन्द का नाम अंकित किया जाये।

रंजना राय पत्नी श्री विवेकानन्द राय,
नि0 11 जे0 संस्कृत इनक्लेब, ताशकन्द मार्ग,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सेजल दीक्षित के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के सह अंक-पत्र प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक-23180043 में माता का नाम पूनम दीक्षित एवं पिता का नाम शिव कुमार दीक्षित अंकित है जो कि गलत है। मेरी पुत्री के माता पिता का सही नाम क्रमशः अनुराधा शर्मा तथा शिवकुमार है।

शिवकुमार
ग्राम व पोस्ट जुगराजपुरा,
जनपद जालौन, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–9 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।